जनवरी : 1981

मूल्य : 1 रु०

कुरुक्षेत्र

सम्पादकीय

आओ संकल्प लें राष्ट्रीय एकता की रक्षा का

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा सह-अस्तित्व के सबसे प्रबल समर्थक राष्ट्र के रूप में हमारी कीर्ति विश्व भर में उजागर है। 'एकता में विविधता' हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारी परम्परा की विशेषता है। सहिष्णुता, उदारता और समभाव हमारी संस्कृति में रचे-बसे हैं। कुल मिलाकर हमारी छवि ऐसे राष्ट्र की है, जो अनेक बातों में विश्व का रहनुमा है।

लेकिन सब धर्मों मतों और सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करने वाले, मुक्त चिंतन और विभिन्न दृष्टिकोणों को शिरोधार्य करने वाले और सबके हित की कामना करने वाले हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, जिनसे हमारी यह उज्ज्वल छवि धूमिल होने लगती है।

ये हैं धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसा, झगड़े और परस्पर वैमनस्य की सर्वथा निंदनीय घटनाएं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गौरवपूर्ण परम्पराओं पर कुठाराघात करती हैं तथा हमारी छवि को मलिन करती हैं।

यह निर्विवाद है कि धर्म के नाम पर संकुचित दृष्टिकोण और निहित स्वार्थों वाले कौन-से व्यक्ति ही इन फसादों के पीछे होते हैं और उन्हें कई बार बाहरी तत्वों से भी समर्थन मिलता है, पर उनका शिकार होते हैं निर्दोष व्यक्ति। धर्म के नाम पर घटने वाली हिंसा, आगजनी और विध्वंस की ये घटनाएं न केवल हमारे सरीखे विपुल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत वाले देश के लिए शर्मनाक हैं, अपितु हर प्रबुद्ध और देश-भक्त व्यक्ति को यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इतने परिपक्व होने के बावजूद भी स्वयं को भूलकर हम इतने नीचे क्यों गिर जाते हैं।

आखिर वह कौन सा धर्म, कौन सा मजहब है, जो हमें बैर रखना सिखाता है? निस्संदेह कोई नहीं। विश्व का हर धर्म शांति का, भाईचारे का, आपसी प्यार का पाठ पढ़ाता है। किन सिद्धांतों के आधार पर, किन मसलों को लेकर, किसके बहकावे में आकर हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों को त्याग कर अचानक बर्बरों का सा व्यवहार करने लगते हैं, आखिर क्यों? बात सीधी सी है, न किसी सिद्धांत की बात है, न कोई अहम मसला है, चंद शरारती व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनसाधारण की भावनाओं से खेलकर उन्हें धर्मान्धता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और कई बार कामयाब हो जाते हैं।

हर देशवासी का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह धर्मान्ध व्यक्तियों की उन सब खतरनाक साजिशों का पर्दाफाश करे, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच फूट, बैर या शत्रुता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे लोगों की न सिर्फ निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए।

हमारा देश सिर्फ मनीषियों का देश ही नहीं है बल्कि हमारे यहां सम्राट अशोक और शहंशाह अकबर जैसे महान शासक भी हुए हैं, जिन्होंने जन सामान्य को सहिष्णुता, सह-अस्तित्व, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने के लिए राह दिखाई।

आगामी 26 जनवरी को हम अपना 32वां गणराज्य दिवस मना रहे हैं। आओ इस पावन वेला में हम यह संकल्प लें कि हमें प्राणप्रण से अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, एकता में विविधता की छवि को बनाए रखना है और धर्म के नाम पर फसाद करने वालों को बेनकाब करना है। इस संकल्प की क्रियान्विति से ही हम अपने पूर्वजों और उनकी 'सर्वजन हिताय' विरासत के प्रति न्याय कर सकेंगे। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 | पौष–माघ 1902 | अंक 3

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

ग्राम विकास और बिजली 2
राम सुन्दर शुक्ल

गांवों का विद्युतीकरण और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 4
देवेन्द्र उपाध्याय

जविक खादें कितनी उपयोगी 5
डा० कमलाकान्त हीरक

जब पोषक ही बन जाएं भक्षक 6
शुक देव प्रसाद

पंजाब में अपूर्व कृषि औद्योगिक प्रगति 8
सतीश कुमार जैन

राजस्थान में सहकारिता से श्वेत क्रांति 10
सत्यनारायण वर्मा

भारत में इलायची की खेती 12
आर० बी० एल० गर्ग

नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित पंडित जनार्दन राय नागर 14
भगवती लाल व्यास

झालावाड़ : संतरा उत्पादन में एक नया नाम 15
श्रीराम मिश्र

गांवों का विकास कैसे संभव 18
अहद 'प्रकाश'

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और नया विकास दृष्टिकोण 19
देवदत्त

शिवपुरी का वन विद्यालय 21
एन० पी० चौबे

एकीकृत ग्राम विकास : कुछ सुझाव 22
बी० विजयलक्ष्मी

तराई क्षेत्र के सफल कृषक 24
जगदीश नारायण मेहरोत्रा

स्थायी स्तम्भ

केन्द्र के समाचार : कहानी : कविता : पहला सुख निरोगी काया : साहित्य समीक्षा आदि ।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें ।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : देवेन्द्र भारद्वाज

उपसम्पादक : कु० शशि चावला

आवरण पृष्ठ : परमार

ग्राम विकास और बिजली

राम सुन्दर शुक्ल

ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी चीजों में संचार साधनों के बाद बिजली का दूसरा स्थान है। कृषि क्षेत्र के विकास में बिजली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में जब से योजनाबद्ध विकास का क्रम शुरू हुआ है, तब से ग्रामीण विद्युतीकरण पर बराबर बल दिया जाता रहा है और गांवों को बिजली देने के प्रयासों में लगातार तेजी आई है।

विद्युतीकरण ग्राम विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि बिजली का ग्रामीण जन-जीवन के सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। इससे खेती में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होने लगता है और सिंचाई के लिए जमीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल आसान हो जाता है तथा जन संचार के आधुनिक साधनों का लाभ पाने से लोगों का ज्ञान बढ़ता है। साधारण ग्रामीण को भी आधुनिक सुख-सुविधाएं मिलने लगती हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से गांवों को बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। पिछले 33 वर्षों के दौरान देश के कुल करीब 5 लाख 76 हजार गांवों में से लगभग ढाई लाख का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब तक देश के साढ़े 43 प्रतिशत गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी है और करीब 64 प्रतिशत जनसंख्या को विज्ञान की इस नई देन का लाभ उपलब्ध है। प्रस्तुत लेख में कुछ अध्ययनों के आधार पर इस बात पर विचार किया गया है कि बिजली गांवों के आर्थिक विकास में क्या भूमिका निभाती है।

बिजली और खेती

ग्राम विद्युतीकरण से खेती को होने वाले लाभों के बारे में कई अध्ययन किए गए हैं जिनमें रोचक निष्कर्ष सामने आए हैं। बिजली उपलब्ध हो जाने पर परम्परागत ढंग की खेती में दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये हैं सघन कृषि और कृषि कार्यों में विभिन्न यंत्रों का प्रयोग। इनके परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र, फसलों की संख्या, फसल चक्रों, कृषि में मानव और पशु का उपयोग, सिंचाई और अन्य कार्यों में बिजली का प्रयोग और विभिन्न कृषि उपकरणों के प्रयोग में परिवर्तन आता है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने कुछ समय पहले एक अध्ययन किया था जिसमें 201 गांवों के 2460 घरों को शामिल किया गया था। ये घर विभिन्न पन्द्रह राज्यों के 26 जिलों से चुने गए। इनमें विभिन्न वर्गों के परिवार शामिल थे। कुछ ऐसे थे जो पहले से ही बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ वे थे जिन्हें बिजली मिलने वाली थी और कुछ घर ऐसे भी थे जो बिजली का इस्तेमाल नहीं करते थे। जिन गांवों को अध्ययन में शामिल किया गया है उनमें सबमें बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। अध्ययन से पता चला कि विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप सिंचाई के पम्पसेटों को बिजली के कनक्शन मिले जिससे नए कुओं पर लगे पम्पसेटों से और ज्यादा खेतों की सिंचाई होने लगी और पहले से विद्यमान कुओं पर बिजली के पम्प लगाए गए जिससे सिंचाई सुविधाएं बढ़ीं। अध्ययनों से पता चला कि पहले से मौजूद और नए खोदे गए कुओं पर बिजली के पम्पसेट लगाने से खरीफ की फसलों से 67 प्रतिशत अधिक और रबी की फसलों से 65 प्रतिशत अधिक क्षेत्र की सिंचाई हुई। किसान ऐसी फसल भी बोने लगे, पहले सामान्यत: जिनकी खेती नहीं होती थी।

सिंचित क्षेत्र में वृद्धि

बिजली आने के बाद सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने से फसल चक्रों में परिवर्तन आता है। पहले इन क्षेत्रों में बारानी फसलों पर जोर होता था। विद्युतीकरण के बाद इनमें सिंचित खेती की प्रवृत्ति बढ़ी। अहमदाबाद के भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने गुजरात में एक अध्ययन किया। इससे पता चला कि पहले जहां हर किसान के पीछे सिंचित भूमि का औसत 2.08 हेक्टेयर आता था, वहां बिजली आने के बाद यह औसत बढ़कर 5.02 हेक्टेयर हो गया। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने भी ग्राम विद्युतीकरण के आर्थिक पक्ष पर कुछ समय पहले पंजाब और केरल में सर्वेक्षण किया। इनसे मालूम हुआ कि पंजाब में बिजली आने के बाद जिन किसानों के पास पम्प सेट थे वे औसतन 3.09 हेक्टेयर अधिक सिंचित भूमि पर फसल बोने लगे। पम्प सेट का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक उपभोक्ता ने फसली वर्ष के दौरान औसतन एक बैल की 354 दिन की मेहनत बचाई। केरल के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बिजली आने के बाद लोगों ने ऐसी फसलें उगानी शुरू कर दीं जिनके लिए सिंचाई जरूरी होती है।

लाभकारी खेती

खेती में बिजली के इस्तेमाल से जो उत्पादकता बढ़ती है उसके बारे में दो अध्ययन ग्राम विद्युतीकरण निगम की ओर से किए गए थे। तमिलनाडु के दक्षिण आरकाट और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिलों में किए गए इन अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया कि गांवों में बिजली का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होता है। दक्षिण आरकाट जिले में हर पम्प सेट के पीछे किसानों की अतिरिक्त आमदनी 2470 रुपये बैठी। गाजीपुर में यह 3437 रुपये प्रति परिवार आई हालांकि ये अध्ययन कुछ समय पहले किए गए थे लेकिन अनुमान है कि लाभ का अनुपात अब भी ऐसा ही होगा।

अधिक रोजगार

बिजली पहुंच जाने से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उन्नत तरीके अपनाने और सघन खेती करने पर अधिक मजदूरों की जरूरत होती है। इससे खेतिहर श्रमिकों को काम मिलता है और उन्हें शहर की ओर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही, किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खेती के काम से

फुर्सत होने पर आटा चक्की, धान कूटने वाली चक्की, तेल घानी मशीनें आदि चला सकते हैं। इससे कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलता है। बहुत से लोग दिन-प्रतिदिन काम आने वाले बिजली के उपकरणों की दुकान खोल लेते हैं। अनेक लोग बिजली के मिस्त्री बन जाते हैं।

सस्ती सिंचाई

बिजली का पम्पसेट सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है। डीजल से चलने वाला पम्पसेट महंगा पड़ता है। कुछ समय पहले बिजली और डीजल दोनों प्रकार के पम्पसेट की लागत का अध्ययन किया गया था। पाया गया कि पांच हार्स पावर के इंजन को बिजली से चलाने से डीजल के मुकाबले काफी किफायत होती है। बिजली पम्पसेट के रख-रखाव पर 160 रुपये और डीजल के पम्पसेट पर 300 रु० प्रति वर्ष खर्च आया। इस अध्ययन के बाद कीमतें काफी बढ़ी हैं लेकिन खर्चे में अन्तर का अनुपात अब भी करीब वही होगा। उस समय पांच हार्स पावर क्षमता वाले बिजली के पम्प सेट की स्थापना पर 5400 रुपये और इसी क्षमता के डीजल के पम्प सेट की स्थापना पर 4720 रुपये खर्चा आया। बिजली पम्प सेट के मिस्त्री-आपरेटर पर 500 रुपये और डीजल पम्प सेट के मिस्त्री पर 800 रुपया खर्चा हुआ।

बिजली और उद्योग

गांवों में बिजली पहुंच जाने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। गांवों में पहले से ही विद्यमान उद्योगों में बिजली का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। ऐसे नए उद्योग भी खुल जाते हैं जिनकी मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं। जो उद्योग पहले से खुले होते हैं उन्हें बिजली से चलने के उपयुक्त बना लेने पर श्रम और ईंधन की बचत होती है। इससे लागत व्यय में कमी आती है और उत्पादकता बढ़ती है। जो नए उद्योग खुलते हैं उनमें बिजली के प्रयोग से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। आस-पास मिलने वाली चीजों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करने वाले उद्योग खुल जाते हैं। देखा गया है कि विद्युतीकरण पहले इस प्रकार की चीजें कच्चे माल के तौर पर सस्ती बेच दी जाती थीं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एक अध्ययन के दौरान 479 ग्रामीण औद्योगिक कारखानों का सर्वेक्षण किया। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इनमें से तीन चौथाई उद्योग बिजली आने के बाद खोले गए। बाकी में विद्युतीकरण के बाद बिजली का इस्तेमाल शुरू किया गया। इससे लागत व्यय में कमी आई और सालाना मुनाफा 11 प्रतिशत बढ़ गया। तमिलनाडु, केरल और पंजाब में भी अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि पहले से मौजूद उद्योगों को बिजली का कनक्शन मिलने के बाद उनके ईंधन व्यय में कमी आई। पंजाब में एक औद्योगिक इकाई की वार्षिक आमदनी में विद्युतीकरण के बाद औसतन 1602 रुपये बढ़ोतरी हुई। जिन उद्योगों ने बिजली का इस्तेमाल शुरू किया उन्होंने हर साल 2417 रुपये के ईंधन की बचत की।

रोजगार के अधिक अवसर

पंजाब में किए गए एक अध्ययन के अनुसार विद्युतीकरण के बाद औसतन छह लोगों को गांवों में फसली काम मिला और हर गांव में करीब 13 लोगों ने स्थायी काम-धंधे शुरू कर दिए। अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अध्ययन के अनुसार 1978-79 के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम से करीब 65 हजार लोगों को नियमित रूप से रोजगार मिलने के अवसर पैदा हुए। अप्रत्यक्ष तौर पर कितने लोगों को काम मिला, इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सका, लेकिन आशा प्रकट की गई कि ऐसे लोगों की भी संख्या काफी होगी। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण (1979) के अनुसार विद्युतीकरण के बाद शुरू किए गए उद्योगों में से हरेक में कम से कम दो व्यक्तियों को नियमित रोजगार मिला। कृषि और उद्योगों के अलावा विद्युतीकरण से राज्य बिजली बोर्डों, व्यापार और गांवों की अन्य सेवाओं में लोगों को ज्यादा काम मिलता है।

गली बत्तियां

गांवों में बिजली पहुंचने पर लोग घरों में बिजली लेने को उत्सुक होते हैं। गांवों में गली-बत्तियां लगाई जाती हैं हालांकि यह बहुत कुछ ग्राम पंचायत और उसके वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है। कलकत्ता के आपरेशन रिसर्च ग्रुप के इस विषय पर किए गए एक अध्ययन में गांवों के जितने लोगों ने प्रश्नों के जवाब दिए, उनमें से 48 प्रतिशत ने बिजली पसन्द की क्योंकि इससे रात में भी उन्हें आने-जाने में आसानी हुई। प्रतिशत लोगों ने बिजली को सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी बताया। 14 प्रतिशत लोगों ने कहा कि गली-बत्तियों से गांवों की शोभा बढ़ती है। चार प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि गली-बत्तियों की मदद से वे देर रात तक काम जारी रख सकते हैं। तीन प्रतिशत लोगों ने कहा कि देर शाम तक बच्चे खेलते रहते हैं और उन्हें डर नहीं लगता। इसी अध्ययन में उत्तर देने वाले 73 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने स्वीकार किया कि बिजली से उनकी जीवन-शैली में परिवर्तन आया है। इन लोगों ने कहा कि वे रेडियो सुन सकते हैं, जिससे मनोरंजन होता है और ऊब मिटती है। 34 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बिजली की रोशनी में काम करना आसान है। करीब 13 प्रतिशत लोगों का ख्याल था कि वे रात में काफी देर तक काम कर सकते हैं जिससे आमदनी बढ़ती है।

बिजली और सामाजिक विकास

बिजली आ जाने से गांवों के लोगों का जीवन-स्तर सुधरता है और उसमें गुणात्मक परिवर्तन आता है। लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिलने लगती हैं। पंखे, बिजली की बत्तियां, हीटर जैसी चीजों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। सुख-सुविधा और मनोरंजन की तलाश में गांवों से शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति कम होती है। गांवों में डाक्टर, नर्स, व्यावसायिक और शिक्षित लोगों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बसने की संभावना बढ़ जाती है। इन का लाभ ग्रामवासियों को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अस्वारूपेट और इस्तरूनगरम नाम के आदिवासी गांवों में टीन की छतवाला सिनेमा खोलने की बात तभी सोची जा सकी जब वहां बिजली आ गई। इन सिनेमाघरों में अब रोज तीन शो होते हैं जिससे लोगों का मनोरंजन होता है और आधुनिक जीवन और ज्ञान-विज्ञान की झलक उन्हें देखने को मिलती है। अनेक गांवों में बिजली आने के बाद टेलीविजन की सुविधा हो जाती है जिससे लोगों की बोल-चाल, वेश-भूषा, आदतों और व्यवहार में परिवर्तन आता है।

गांवों में बिजली पहुंचने से परिवार नियोजन के कार्य में भी परोक्ष रूप से सहायता मिलती है। लोगों को सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं जिससे उनको सूचना देना और परिवर्तन के लिए समझाना-बुझाना आसान हो जाता है। मनो-

[शेष पृष्ठ 30 पर]

गांवों का विद्युतीकरण और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

देवेन्द्र उपाध्याय

गांवों के समन्वित विकास के इतिहास में 1969 एक ऐतिहासिक और चिर-स्मरणीय वर्ष के रूप में याद किया जाता रहेगा। रिजर्व बैंक की ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर गांवों को बिजली पहुंचाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई।

ग्रामीण विद्युतीकरण की वार्षिक विकास दर पहली पंचवर्षीय योजना में 0.15 प्रतिशत, दूसरी में 0.51 प्रतिशत और तीसरी में 0.62 प्रतिशत रही। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना के बाद चौथी योजना में यह दर 2.9 प्रतिशत हो गई और यह दर अभी तक कायम है।

अब तक देश के करीब 5.76 लाख गांवों में से करीब 2.50 लाख गांवों में बिजली पहुंच चुकी है जिनमें से 1974-75 से 1979-80 के बीच करीब 72 हजार गांवों में निगम की वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं से विद्युतीकरण हुआ।

निगम के अध्यक्ष डा० टी०जी०के० चार्लू ने बताया कि 1979-80 के दौरान निगम ने 13 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया, जो अपने आप में रिकार्ड है। इसी दौरान करीब 1.45 लाख पम्प सेट ऊर्जायित किए गए जिनका औसत पूरे वर्ष में 400 पम्प सेट प्रति दिन बैठता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही योजना—विशेष परियोजना कृषि कार्यक्रम (एस० पी०ए०) के अन्तर्गत 300 से ज्यादा परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इस परियोजना को बैंकों से भी मदद मिली।

श्री चार्लू ने बताया कि निगम का ग्रामीण विद्युतीकरण में विशेष योगदान रहा। 1979-80 में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या का 78 प्रतिशत निगम द्वारा विद्युतीकरण हुआ, जबकि 1978-79 में यह 60 प्रतिशत था। लक्ष्य 84 प्रतिशत रखा गया है, जिसे कई राज्यों ने पूरा किया। लक्ष्य प्राप्ति में प्राकृतिक कारणों और विद्युत सामग्री की कमी से रुकावट आती है।

उन्होंने यह भी बताया कि निगम पिछड़े और अल्प विकसित इलाकों की ओर विशेष ध्यान रख रहा है। निगम ने अब तक कुल मिलाकर 1284.6 करोड़ रु० से अधिक की ऋण सहायता दी है। अगले 15 वर्षों में देश का कोई भी गांव बिजली के बिना नहीं रहेगा चाहे किसी भी माध्यम से उनका विद्युतीकरण हो।

मुनाफा

निगम मुनाफे की दृष्टि से भी प्रगति कर रहा है। इसने 1979-80 के दौरान 5.99 करोड़ रु० का शुद्ध मुनाफा कमाया, जबकि 1978-79 में यह 4.56 करोड़ रु० था। 1978-79 में प्रशासनिक खर्च 5.9 प्रतिशत था जिसे 1979-80 में घटा कर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया।

विदेशों में परामर्श सेवाएं

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दूसरे देशों को भी परामर्श सेवाएं दे रहा है। अल्जीरिया और मिस्र के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत निगम इन देशों को तकनीकी सहायता देगा। थाईलैंड, घाना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया आदि देश निगम की विशेष सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए निगम इस बात का प्रयास कर रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई डी ए) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमेरिकी एजेंसी (यू एस ए आई डी) से प्राप्त ऋण का उपयोग किया जाए।

नई परियोजनाएं

निगम ने 2700 और गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए 47 परियोजनाओं हेतु 14 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं। इनसे 15 हजार पम्प सेटों, 20 हजार से अधिक औद्योगिक और अन्य प्रकार के सर्विस कनेक्शन मिलेंगे। इनमें 23 परियोजनाएं विशेष परियोजना कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं पर 7 करोड़ रु० से ज्यादा खर्च आएगा और इसमें से 2.30 करोड़ रु० निगम देगा।

निगम ने 24 लाख रु० की ऋण सहायता हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की 180 हरिजन बस्तियों को इस नई योजना से बिजली मिलेगी।

पिछले 11 वर्षों में अब तक निगम 3680 परियोजनाओं के लिए 12 अरब 80 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर चुका है। सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर 1 लाख 78 हजार गांवों और 14 लाख पम्प सेटों को बिजली मिलने लगेगी।

अठगढ़ विद्युत सहकारी

उड़ीसा के कटक जिले में अठगढ़ में अगस्त 1978 से एक विद्युत सहकारी समिति काम कर रही है। राज्य की इस पहली विद्युत सहकारी को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने प्रायोजित किया है।

उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने 46.57 लाख रु० मूल्य की अपनी संपत्ति इस सहकारी को हस्तान्तरित कर दी है जिसमें 15 लाख रु० हिस्सा पूंजी के रूप में लगाए गए हैं। यह समिति एक स्वशासी संस्था की तरह कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य कार्यों के अलावा उस क्षेत्र के सभी 418 गांवों का सघन विद्युतीकरण और इस काम में स्थानीय लोगों को सक्रिय सहयोग करने की सुविधा प्रदान करना है। ☐

जैविक खादें कितनी उपयोगी

डा० कमलाकान्त हीरक

देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति का किसी भी रूप से ह्रास न होने दें। इसके लिए यह जरूरी है कि पौधों को अतिरिक्त पोषण तत्व देने के लिए भूमि में समय-समय पर उर्वरक तथा जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का पौधों को शीघ्र पोषण तत्व प्राप्त कराने में महत्त्व है, उससे कम जैविक खादों की उपयोगिता नहीं ? कुछ जैविक खादें ऐसी भी हैं जिनका पौधों पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार, क्षार-विनिमय शक्ति और भूक्षरण रोधी शक्ति में वृद्धि और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि इत्यादि गुणों का समावेश स्वतः हो जाता है। सघन खेती पद्धति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग और पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त परिस्थितियां उसी समय उपलब्ध हो पाती हैं जबकि जैविक खादों का भी इस्तेमाल बाहुल्यता के साथ किया जाए।

जैविक खादों की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं के अवशेषों द्वारा होती है। कृषि और कृषि जन्य उद्योगों के उपयोगी तथा अनुपयोगी उपजात पदार्थ ही जैविक खादों के साधन हैं, स्रोत हैं। जैविक खादों को "बहुआकारीय जैविक खादें" नाम से संबोधित किया जाता है। क्योंकि ये खादें आयतन में अधिक होने पर भी पोषण सामग्रियों को बहुत अल्प मात्रा में धारण किए रहती है। इन खादों के अंतर्गत कम्पोस्ट, गोबर की खाद, घूरे की खाद कूड़ा-करकट, फसलों के अवशेष, जंगली घास-पात, कीचड़ व गंदा पानी, हरी खादें, तालाबों की निचली मिट्टियां, पानी में उगे खरपतवार, समुद्री शैवाल, भेड़-बकरियों की मेंगनी, मुर्गियों-चिड़ियों की बीटें, मछलियों, हड्डियों, मांस के चूर्ण,अन्न की छीजन इत्यादि हैं। जिनमें पौधों के मुख्य पोषण तत्व—नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इत्यादि प्रचुर मात्रा में रहते हैं उन्हें "संकेन्द्रित जैविक खादें" कहकर पुकारते हैं।

यदि हम ध्यान से विचार करें तो पता चलता है कि अपने देश में अधिक से अधिक परम्परागत जैविक खादें उपलब्ध हैं जिनका आज भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। किन्तु आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इस पर हमारे देश में वैज्ञानिक और कृषक दोनों ध्यान दें। हर्ष की बात है कि अब ध्यान देना शुरू कर भी दिया गया है। लोगों का झुकाव भी इस ओर होता जा रहा है धीरे-धीरे।

आज संसार की लगभग एक तिहाई पशु संख्या भारत में है। इनसे 1 अरब 33 करोड़ 50 लाख टन उत्पादित गीले गोबर और 37 करोड़ टन पशु मूत्र की मात्रा प्राप्त होती है जिसमें अनुमानतः क्रमशः 48.9, 13.7, 38.5 लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा सन्निहित है। किन्तु इतनी प्रचुर गोबर की मात्रा का एक तिहाई भाग भी मुश्किल से प्रयोग नहीं हो पाता है। सारा पशुमूत्र भी व्यर्थ ही चला जाता है। यदि उपरोक्त मल-मूत्र में उतनी ही अन्य सामग्री जैसे कूड़ा-करकट, फसलों के अवशेष, ईख की खोई, पत्तियां, डंठल एवं अप्रयुक्त चारा इत्यादि मिलाकर कम्पोस्ट तैयार करें तो नाइट्रोजन, फासफोरस एवं पोटाश युक्त खाद की मात्रा में काफी वृद्धि की जा सकती है।

विभिन्न प्रकार की खलियां जो तिलहनी फसलों से प्राप्त होती हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी रहती है। इनसे फासफोरस और पोटाश भी मिलता है। भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख टन खलियों का उत्पादन होता है जिसका 85 प्रतिशत भाग पशुओं को खाने के रूप में इस्तेमाल होता है। अखाद्य खलियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैविक मिश्रणों के रूप में होते हैं। खड़ी फसलों पर इनका प्रयोग प्रभावशाली देखा गया है। इनमें 3 से 1 प्रतिशत तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है।

बूचड़खानों के अवशेष, पशु हड्डियां, मत्स्य चूर्ण, भेड़-बकरियों की मींगन, मुर्गियों-चिड़ियों की बीट आदि की मात्रा अनुमानतः 4.19 करोड़ टन प्रति वर्ष है जिसका केवल एक चौथाई भाग ही खेतों तक पहुंच पाता है। इस प्रकार की जैविक खादों में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश की बाहुल्यता रहती है और फसलों पर इनका प्रभाव भी शीघ्र पड़ता है। ईख की खोई, धान की भूसी, लकड़ी के बुरादे, समुद्री शैवाल एवं खरपतवार का एक बहुत बड़ा अंश निरर्थक चला जाता है, जिससे हम अनुमानतः 5 से 7 करोड़ टन प्रति वर्ष जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में, जहां जल कुम्भी की अधिकता है, एक अच्छी किस्म की कम्पोस्ट तैयार होने लगी है। इस प्रकार की खाद में नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाश की मात्रा काफी रहती है। यदि इस क्षेत्र में व्यापक कार्य किया जाए तो कई लाख टन जैविक कम्पोस्ट आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

जैविक खादों पर किए गए परीक्षणों और अनुसंधानों से कई प्रकार की उपयोगी बातें उभरकर सामने आई हैं। उपज बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से पौधे की वृद्धि एक सी होती है। जिस प्रकार उर्वरकों का खड़ी फसलों पर अच्छा प्रभाव देखा जाता है, उसी प्रकार मछली और हड्डियों की जैविक खादें प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।

नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सूक्ष्म पोषक तत्व जैविक खादों में मौजूद रहते हैं जो उर्वरकों में नहीं मिलते। भूमि की उत्पादन क्षमता को अधिक समय तक कायम रखने के लिए अन्य तत्वों की देर-सबेर आवश्यकता जरूर होती है जिनकी पूर्ति जैविक खादें करती हैं। मल-जल एक ऐसी जैविक खाद है जिसके प्रयोग से सिंचाई के साथ-साथ पौधों को उनका आवश्यक पोषक तत्व भी मिल जाता है जिससे 15 से 50 प्रतिशत तक उपज-वृद्धि होती है। चारे की फसलों पर तो

[शेष पृष्ठ 7 पर]

जब पोषक ही बन जाए भक्षक

शुकदेव प्रसाद

भोजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी तो है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार भी आवश्यक है। हमारे खाद्य के आवश्यक पौष्टिक तत्वों यथा वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन आदि की अपेक्षा प्रोटीनों की अपनी विशेष महत्ता है। जैविक क्रियाओं के संचालन और उचित शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। हमारे नित्य के भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि की मात्रा तो पर्याप्त रहती है, लेकिन सामान्यत: प्रोटीन तत्व का अभाव ही रहता है, जिसके कारण कुपोषण से पीड़ित होकर लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। अत: कुपोषण से पीड़ित नर-नारियों को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि ऐसे खाद्य के उत्पादन हेतु जोर दिया जाए जोकि प्रोटीन तत्वों से भरपूर हों।

प्रोटीन के स्रोत मुख्यत: दालें हैं जो कि आम आदमी को उपलब्ध हो सकती हैं। वैसे अन्य कीमती खाद्यान्नों की प्रोटीनें, पशुओं के दूध आदि तो सामान्यत: सर्वसाधारण को उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं और जो मिलते भी हैं, वह तमाम अशुद्धियों से भरपूर हैं। अत: मजबूरन आम नागरिक के लिए प्रोटीन स्रोत के रूप में दालें ही उपयुक्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि प्रोटीन तथा अन्य आहार तत्वों के पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद कुछ दालें मानव स्वास्थ्य हेतु विष तुल्य हैं? ऐसी ही एक दाल का नाम है खेसारी दाल (लेथिरस सेटाइवस) जो कि भारत के विभिन्न भागों में खाई जाती है।

खेसारी और उसका खतरा

सम्पूर्ण भारत में लेथिरस नाम से जानी जाने वाली यह दाल मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस दाल के नियमित सेवन से कमर के नीचे का सारा भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्तत: लोग पंगु होकर घिसटने लगते हैं और फिर जिन्दगी जीने की ख्वाहिश को छोड़कर बैठे-बैठे मौत की प्रतीक्षा करते हैं मानो जिन्दगी महज एक बोझ बन गई हो, इसके सिवा और कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि लोग इस दाल के खाने से होने वाली हानियों से परिचित नहीं। लेकिन अकाल के दौरान भुखमरी से पीड़ित मानव अपनी क्षुधा को शान्त करने हेतु इसे खाता है। रीवा और सतना जिले में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके पुरुष सदस्य पंगु हैं। सतना जिले के लगभग एक हजार आबादी वाले एक गांव में शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो इसकी भीषण मार से अछूता हो।

इस दाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्षा के अभाव में जब कि कोई भी फसल पैदा नहीं होती, उस समय भी इसकी भरपूर फसल पैदा होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की भूमि और मौसम की अनुकूलता आवश्यक नहीं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पूर्ण यौवन पर रहती है। अत: निश्चित है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जन-जीवन की रक्षा हेतु यह वरदान स्वरूप है, लेकिन जीवनदान के बाद यह जिन्दगी जीने के लिए किसी को छोड़ती नहीं।

इससे होने वाले रोग को लेथिरिज्म कहते हैं। यह रोग लंगड़वा, लबुओं, लुंज-पुंज, पंगुता आदि नामों से भी मशहूर है।

खेसारी : कई नाम

खेसारी दाल अन्य कई नामों यथा मटर, नवड़ा, बटरा, कन्थू, खेसरी, घसरा, लाग, लाख, लटरी, लकाल् आदि अनेक नामों से जानी जाती है। रीवा और सतना जिलों में मटरा, बटरा और तेवड़ा नामों से यह प्रचलित है।

खेसारी : पौष्टिक आहार

वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता चलता है कि पौष्टिक आहार-तत्वों के मामले में यह अन्य दालों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है। खाने में अति स्वादिष्ट होती है। प्रोटीन और विटामिन आदि की इतनी मात्रा अन्य खाद्यान्नों में नहीं मिलती है। प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य दूसरे पौष्टिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में इसमें उपस्थित हैं।

खेसारी पर शोध कार्य

इस रोग से संबंधित विवरण अंग्रेज अधिकारी जनरल स्लीमैन द्वारा लिखित पुस्तक 'रेबल्स एंड रिक्लेशन आफ एन इंडियन आफिसियल' में मिलता है। उक्त पुस्तक में श्री स्लीमैन ने 1829 और 1931 में भीषण सूखा पड़ने पर सागर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में भुखमरी से पीड़ित लोगों के खेसारी खाने तथा पंगु होने का वर्णन किया है।

इसके बाद 1950 में रीवा मेडिकल कालेज के डा० एम० पी० द्विवेदी के एक शोध प्रबन्ध से लेथिरिज्म संबंधी कुछ बातें प्रकाश में आईं। डा० द्विवेदी के शोध प्रबंध के प्रकाशित होने के बाद वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान सतना और रीवा जिले में लगभग 32000 लोग इस रोग के शिकार पाए गए। तब से इसके विषैले प्रभावों के कारण का पता लगाने हेतु राष्ट्र की विभिन्न अनुसंधानशालाओं में शोध कार्य हो रहे हैं। 1963 में राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डा० वी० नागराजन तथा उनके सहयोगियों ने खेसारी में उपस्थित विष को पृथक कर लिया। यह विषैला तत्व बी० ओ० ए० ए० (बीटा ऑक्सिलिल एमीनो अलेनाइन) है, जो कि रीढ़ की हड्डी के द्वितीय लंबर को प्रभावित कर स्थानीय उत्तेजना पैदा कर अन्तत: उसे निष्क्रिय कर देता है। इसके तीन और तत्व इसमें उपस्थित हैं–– शरीर में जड़ता उत्पन्न करने वाला तत्व, ट्रिप्सिन नामक एन्जाइम को निष्क्रिय करने वाला (ट्रिप्सिन निरोधक) तत्व तथा पानी

में घुलनशील जहरीला तत्व न्यूरोटॉक्साइड । डा० नागराजन और डा० द्विवेदी आदि के शोधों से एक नई बात प्रकाश में आई है । वह यह है कि लेथिरिज्म के शिकार केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी होते हैं ।

रोग के लक्षण

खेसारी दाल के प्रयोग करने के तुरन्त बाद यह रोग घर नहीं करता । नियमित रूप से सेवन करने वालों को पंगुता तो चार छह महीने बाद ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यह रोग अपना प्रभाव थोड़े ही दिनों में दिखाने लगता है ।

रोग की प्रारम्भिक अवस्था में रात्रि को विश्राम करते समय पिण्डलियों में अचानक पीड़ा तथा साथ ही उनमें ऐंठन प्रारम्भ होती है । फलतः पेशियां संकुचित होकर ठोस गेंद के आकार की हो जाती हैं । इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में लीट्ठाकस बंध जाना, लंदुका या पाढ़ चढ़ना कहते हैं ।

इसके बाद पैरों की अंगुलियां भीतर की ओर सिकुड़ने लगती हैं । रोग की यही शुरुआत है । पिण्डलियों में चूंकि कड़ापन आ जाता है, अतः रोगी को चलने में कठिनाई महसूस होती है । उसके पैर तिरछे पड़ने लगते हैं तथा वह अत्यधिक पीड़ा के कारण छोटे-छोटे कदम रखने लगता है । रोग की दूसरी अवस्था में एड़ियां जमीन से नहीं टिक पातीं । अतः उसे छड़ी की जरूरत पड़ती है । रोग की तीसरी अवस्था में घुटने में इतना झुकाव आ जाता है कि उसकी चाल आड़ी-तिरछी होने लगती है और वह अब दो लाठियों के सहारे चलता है ।

रोग की चौथी यानी अंतिम अवस्था में रोगी के पांव घुटनों से पीछे की ओर मुड़ जाते हैं । ऐसी अवस्था में रोगी को अपने सारे शरीर का बोझ हाथों पर डाल कर घिसट-घिसट कर चलने के सिवा और चारा ही क्या रह जाता है और इस प्रकार एक अच्छे-खासे इंसान की जिन्दगी उसके और दूसरे के लिए बोझ बनकर ऊबाऊ और भारी बन जाती है । एक बात है, इस रोग से मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन ऐसी जिन्दगी से फायदा ही क्या ?

यह रोग एक ऐसे हत्यारे की भांति है जो कि छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक के ऊपर कुठाराघात करता है ।

सामान्यतः समाज का पिछड़ा वर्ग यानी मजदूर आदि ही इस रोग के शिकार हैं, क्योंकि ऐसे वर्ग को तो खाने-पीने, आवास आदि की तमाम दिक्कत रहती है, अतः उन्हें अपनी क्षुधा मिटाने के अतिरिक्त यह सब सोचने की नौबत ही कहां आती है । पढ़ा-लिखा समझदार वर्ग खेसारी को न खाकर इन्हीं मजदूरों एवं किसानों को मजदूरी स्वरूप देता है, जिसका परिणाम छोटे लोगों में देखने को मिलता है ।

कुछ सुझाव

बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी तक इस रोग की कोई चिकित्सा संभव नहीं हो पाई है । फिर भी इससे बचने के कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जो निःसन्देह ही अति लाभकारी हैं ।

ऐसा देखा गया है कि यदि रोगी अपनी किसी भी रोग-अवस्था में खेसारी खाना छोड़ दे तो रोग की दूसरी अवस्था का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है । अतः खेसारी खाना छोड़ देना ही श्रेयस्कर है ।

वैसे भी यदि भोजन में खेसारी की 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा न ली जाए, तो इस रोग का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता ।

वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि इसमें उपस्थित विष पानी में घुलनशील है । अतः इसे खौलते पानी में लगभग दो घंटे तक उबाल कर धूप में सुखा लिया जाए, तो उसका विष दूर हो जाता है । धूप में सुखाने के बाद इसे विभिन्न खाद्य के रूप में खाया जा सकता है । अतः यह निश्चित है कि यदि खेसारी को भोजन रूप में प्रयोग करने से पहले पानी में उबाल लिया जाए, तो यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ बन सकता है ।

इधर राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, मैसूर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कुछ ऐसी खेसारी की जातियों के विकसित करने के बारे में शोधकार्य हो रहा है, जिनमें विष की मात्रा अत्यन्त कम हो । यदि ऐसे प्रयोग सफल रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब पंगुता नामक एक भद्दे कलंक को सभ्य समाज से सदा के लिए दूर किया जा सकेगा । □

[पृष्ठ 5 का शेष]

इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ है—100 प्रतिशत तक पैदावार आसानी से बढ़ जाती है । जैविक खादों के प्रयोग से उत्तम किस्म के फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं । स्वाद, अधिक समय तक भंडारण एवं रंग और संरचना आदि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

आज देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने जैविक खादों के प्रयोग के लिए सिफारिशें की हैं । इनके प्रयोग से मिट्टी को वे सभी चीजें (कुछ अंशों में) पुनः वापस मिल जाती हैं जो एक स्वस्थ पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक हैं अर्थात प्रयोग में न आई फसल का एक अंश आगामी फसल को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भूमि को वापस मिल जाता है । यदि हम मिट्टी में जैविक सामग्री का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते रहें तो अघुलनशील फासफेट ऐसे रूप में बदल जाते हैं जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं । ये खादें लोहे को भी उसी प्रकार पौधों के ग्रहण करने लायक रूप में बदल देती हैं । इनसे मिट्टी की संरचना एवं उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होने लगती है । भूमि की उर्वरा शक्ति उच्चस्तर तक पहुंच कर अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव पौधों पर डालती है । ह्यूमस तैयार होने वाली सामग्री का समावेश आसानी से संभव हो जाता है । अधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टियां स्वतः सुधर जाती हैं । □

छोटा परिवार सुखी परिवार

पंजाब में अपूर्व कृषि एवं औद्योगिक प्रगति

सतीश कुमार जैन

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में आत्म-निर्भर होने की दृष्टि से अधिक अन्न उत्पादन पर लगातार बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ लघु उद्योगों को अधिक विकसित करने की दृष्टि से, विशेषकर पिछले दशक से, अधिक प्रयत्न हो रहा है। पंजाब में इन दोनों क्षेत्रों में की गई प्रगति अपूर्व एवं अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। पंजाब का नाम लेते ही एक समृद्ध और हरे-भरे प्रदेश तथा स्वस्थ एवं उल्लसित मन पुरुषार्थियों के राज्य का चित्र आंखों के सामने उभर आता है।

पंजाब का सांस्कृतिक जीवन इसके बैसाखी मेले तथा भंगड़ा एवं गिद्धा जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों के कारण देश भर में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। पंजाब के निवासी जहां घोर परिश्रमी हैं वहां उनका जीवन भी उतना ही उल्लासपूर्ण है। ढोल पर थाप पड़ते ही युवा-युवतियों के पैर भंगड़े पर नृत्य करने के लिए थिरकने लगते हैं। उल्लास एवं जीवन की उद्दाम कामनाओं का विशिष्ट प्रतीक है पंजाब का भंगड़ा नृत्य। यह देश का सबसे अधिक अन्न उत्पादन करने वाला राज्य है। गेहूं तथा चावल आदि के उत्पादन के लिए तो इसे देश का सबसे बड़ा अन्न भंडार होने का गौरव प्राप्त है। न केवल कृषि वरन प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टि से यह देश का सर्वप्रथम राज्य है। अपेक्षाकृत प्रति व्यक्ति अधिक आय होने में जो कारण मुख्य हैं वे हैं कृषि में आधुनिक सुधारों का समावेश, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास तथा यहां के निवासियों की लगन तथा कार्यक्षमता।

पंजाब की कुल भूमि का 82 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत है। यह किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे अधिक है। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का निर्वाह कृषि पर होता है। पंजाब का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं से युक्त है जो समस्त देश के औसत से अधिक है। बिजली के विकास, अच्छी ऊपजाऊ भूमि, सिंचाई की समुचित सुविधाओं, खाद के प्रयोग तथा विशेषकर कृषकों के परिश्रम के कारण पंजाब में गेहूं, चावल, कपास और बाजरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है।

लुधियाना जिले की लगभग 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टयेर गेहूं की उपज विश्वभर में सबसे अधिक है और एक गौरवमय कीर्तिमान है। भारत के अन्न भंडार को सबसे अधिक पंजाब ही भरता है। देश के चावल भंडार में भी पंजाब का योगदान लगभग 27 प्रतिशत है, जो किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।

कृषि में इतनी अधिक उत्पादन वृद्धि का मुख्य कारण है राज्य सरकार और कृषकों का परस्पर सहयोग। राज्य ने एक ऐसी सुन्दर योजना क्रियान्वित की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में सबसे कम अन्न उत्पादन करने वाले पांच व्यक्ति छांटे जाते हैं। उन्हें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सबसे अधिक सुविधाएं प्रत्येक दृष्टि से दी जाती हैं। इसके कारण छोटे किसानों का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ती है और फलस्वरूप अन्न उत्पादन भी। इस योजना के फलस्वरूप निर्धन कृषकों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है।

पंजाब ही सारे देश में प्रथम राज्य है जिसने सारे कृषि क्षेत्र को छोटे और सीमांत कृषकों की एजेंसी के अन्तर्गत कर लिया है। छोटे किसानों की विकास एजेंसी एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की एजेंसी ने 64,000 से अधिक कृषकों को लगभग 23,000 नलकूप लगाने में तथा कृषि व पशुपालन सम्बन्धी कार्यों में सहायता दी है। पंजाब में कृषि श्रमिकों को सबसे अधिक मजदूरी दी जाती है। उपरोक्त सब कारणों से भारत के कृषि मानचित्र में पंजाब का स्थान सर्वोपरि है।

जहां उत्पादन की दृष्टि से पंजाब सर्वप्रमुख है, आहार की दृष्टि से भी पंजाब के व्यक्ति सब से आगे हैं। राज्य में दूध और अनाज की प्रति व्यक्ति खपत देश में सबसे अधिक है और यहां का पौष्टिक तथा संतुलित आहार स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समझा जाता है। अच्छी जलवायु, अच्छे उत्पादन, अपेक्षाकृत अच्छी आय तथा पौष्टिक आहार के कारण पंजाब के अच्छे डीलडौल तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की औसत आयु भी देश में सबसे अधिक है। पुरुषों की औसत आयु 63-65 वर्ष तथा महिलाओं की लगभग 60 वर्ष है।

पंजाब में लघु उद्योग विकास विगत 25-30 वर्षों में बड़े स्तर पर हुआ है। यहां प्रति व्यक्ति लघु उद्योग का अनुपात देश में सबसे अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार

ने उद्योगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें लघु उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करना, कुछ करों से मुक्त करना आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

राज्य के लघु उद्योग विकास में पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम का योगदान भी महत्वपूर्ण है । उत्पादन वृद्धि के लिए यह उद्यमकर्ताओं को लोहे और फौलाद के सामान तथा कच्चे माल की बिक्री सुविधानुसार करता है तथा उनके द्वारा उत्पादित अच्छे स्तर की सामग्री को निर्यात करने के लिए भी भरसक प्रयत्न करता है। उद्यमकर्ताओं को अधिक परिमाण में कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम के व्यापार में विगत तीन वर्षों में विशेष वृद्धि हुई है। यह कच्चे माल को उसके उत्पादकों द्वारा निश्चित किए गए थोक मूल्य से भी कम मूल्य पर विक्रय करता है तथा यातायात का व्यय भी स्वयं वहन करता है। निगम के अंतर्गत एक पूर्ण मार्केटिंग डिवीजन की स्थापना की गई है जो उत्पादकों को उनका माल बेचने में सहायता प्रदान करता है । कुछ बड़े नगरों में निगम ने अपने एम्पोरियम भी स्थापित किए हैं जिनके जरिये पंजाब में बने आकर्षक व मजबूत सामान का भली प्रकार प्रदर्शन तथा बिक्री होती है। निगम ने अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल के सहयोग से कालीनों और सुन्दर दरियों की बुनाई में प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ी योजना को हाथ में लिया है। यह निगम न केवल देश में ही आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेकर उत्पादित सामग्री की बिक्री बढ़ाने में सहायक है अपितु लघु उद्योगों के निर्माण स्तर का प्रचार कर निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ाता है।

निगम के अंतर्गत संचालित पंजाब औद्योगिक सलाहकार संगठन द्वारा प्रतिभाशील उद्यमकर्ताओं को तकनीकी प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे नए उद्यमों को भली प्रकार स्थापित कर उनमें कुशल प्रबंध व्यवस्था रखें। यह उन्हें कारखानों को स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट बनाने तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव भी देता है।

1978-79 के अंत तक राज्य में 49,381 लघु उद्योग पंजीकृत थे जिनमें तीन लाख से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे थे। इनमें 747 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री का उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग 83 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री निर्यात की गई जो एक अच्छा प्रयास है ।

देश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की योजना के अंतर्गत पंजाब के कई जिलों में जिला केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा अन्य में उन्हें स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है। इन जिला केन्द्रों द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उद्यमकर्ताओं की भूमि, वित्त, कच्चे माल, प्रशिक्षित व्यक्ति आदि सभी समस्याओं का समाधान उसी जिले में हो जाए और उसके लिए उन्हें राज्य की राजधानी अथवा बड़े नगरों में दफ्तर-दफ्तर भटकना न पड़े। उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्य त्वरित गति से हों तथा उद्यमकर्ताओं को परेशान न होना पड़े और इस प्रकार उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो। इन जिला उद्योग केन्द्रों को मौके पर ही ऋण सम्बन्धी आर्थिक सहायता करने के लिए विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं । राज्य में कुटीर उद्योगों के अंतर्गत हथकरघा उद्योग को विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे कि देहातों में रोजगार के प्रचुर साधन उपलब्ध हो जाएं और वहां के निवासियों की आय में वृद्धि हो। बुनकरों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे सुधरे हुए करघों तथा मशीनों को लगा सकें । उनको ब्याज-मुक्त ऋण भी इस दृष्टि से दिए जा रहे हैं कि उनकी पूंजी सम्बन्धी क्षमता बढ़े। बुनकरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आकर्षक वस्त्र भली प्रकार बना सकें । हथकरघा उद्योग को विकसित करने के लिए पंजाब राज्य में हथकरघा एवं वस्त्र विकास निगम की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुन्दर डिजाइन तथा टिकाऊ वस्त्रों के उत्पादन के जरिये इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाना ।

पंजाब में लुधियाना नगर देश तो क्या विश्वभर में होजरी के सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देशवासियों को लुधियाना के बने स्वेटर, ऊनी शाल, मफलर व बच्चों के लिए बुने हुए ऊनी वस्त्र उपयोग में लाने में विशेष संतोष मिलता है। यहां का बना हुआ सुन्दर और बढ़िया ऊनी सामान विदेशों को भी निर्यात किया जाता है । पंजाब राज्य होजरी, निटवियर विकास निगम ने, जिसकी स्थापना फरवरी 1977 में हुई है, इस उद्योग को नए आयामों तक पहुंचाया है । निगम प्रयत्नशील है कि राज्य में होजरी तथा वस्त्रों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार हो जिससे उनका पर्याप्त परिमाण में निर्यात भी हो सके। अभी होजरी आदि के सामान का निर्यात रूस और पूर्वी यूरोप के देशों को ही किया जाता है। अब यह प्रयास हो रहा है कि उत्पादन स्तर एवं परिमाण को इस श्रेणी का किया जाए कि उसकी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में भी मांग बढ़े।

पंजाब में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण में यथेष्ट प्रगति हुई है। इसमें विशेष योगदान किया है पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिक निगम ने। इसके सहयोग से अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले तथा अनेक घरेलू उपकरणों का उत्पादन अच्छे स्तर पर हो रहा है।

कुटीर अथवा ग्रामीण उद्योगों के विकास में भी पंजाब पीछे नहीं है। 1975-76 में खादी और ग्रामीण उद्योग मंडल की स्थापना के समय से ग्रामीण उद्योगों के विकास में अच्छा सहयोग मिल रहा है। 1978-79 के अंत तक मंडल द्वारा 7,300 ग्रामीण उद्योगों को सहायता दी जा चुकी है। ग्रामीण उद्योग विकास के क्षेत्र में विगत वर्षों में संतोषजनक कार्य हुआ है। 1977-78 और 1978-79 में लगभग 6,300 ग्रामीण उद्योग इकाइयों को दो करोड़ रुपये से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इससे ग्रामवासियों में आर्थिक विकास की दृष्टि से यथेष्ट आत्म विश्वास उत्पन्न हुआ है। दस्तकारों को बिना अधिक सरकारी औपचारिकता बरते आवेदन-पत्र देने के एक माह के अंदर ही आर्थिक सहायता दी जाती है। मंडल द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के संबंध में ग्रामवासियों को शिक्षित किया जाए। मंडल ग्रामवासियों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1977-78 और 1978-79 में मंडल के कार्यक्रमों से लगभग 11,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार इस बात के लिए भी प्रयत्नशील है कि राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में आहत हुए सैनिकों की विधवाओं तथा दस्तकारी के कार्य में वंशानुगत दक्ष व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाया जाए तथा उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें अधिक प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान की जाएं। □

राजस्थान में सहकारिता से श्वेत क्रांति

सत्यनारायण वर्मा

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल 2.58 करोड़ की आबादी में 2.12 करोड़ (82.17 प्रतिशत) व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं। इनमें से अधिकतर व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं। राज्य में कुल जोतों की संख्या 37 लाख है। इनमें से 0.5 हेक्टेयर वाली 4.81 लाख जोतें, 0.5 से 1 हेक्टेयर वाली 4.59 लाख जोतें एवं 1 से 2 हेक्टेयर वाली 6.90 लाख जोतें हैं। इनका बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर करता है। कृषि मानसून का जुआ है। कभी अनावृष्टि होती है तो कभी कभी अतिवृष्टि। राज्य में कृषि ही मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है, जिसमें एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कृषि पर निर्भर रह कर जीवनयापन करना कठिन हो गया है और किसानों की आर्थिक स्थिति बड़ी निराशाजनक रहती है। अतः कृषि के साथ-साथ पशु पालन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

देश की कुल पशु सम्पदा का 11 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। 1972 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल 3.89 करोड़ पशु थे जो 1977 तक बढ़कर 4.17 करोड़ होने का अनुमान है। राज्य में प्रति वर्ष 32 लाख टन दूध उत्पन्न होता है और प्रतिवर्ग किलोमीटर 114 पशु हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशु पालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है और 13 प्रतिशत आय पशुपालन से होती है। पशु धन हमेशा राज्य का आर्थिक सम्बल बना हुआ है। राज्य में 1 करोड़ 37 लाख गाय और 54 लाख भैंस हैं जो कि देश की पशु संख्या का 7 प्रतिशत हैं। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धि की मात्रा 112 ग्राम है, जबकि राजस्थान में यह मात्रा 292 ग्राम है। राज्य में प्रतिदिन 77 लाख लीटर दूध उत्पादित होता है, जिसमें 25 लाख लीटर दूध दैनिक आवश्यकता से अधिक है। यद्यपि किसानों के पास गांवों में आवश्यकता से अधिक दूध उत्पन्न होता है, परन्तु इसके विपणन की व्यवस्था का अभाव है। मजबूरन उन्हें दूध का खोया या मावा बनाना पड़ता है और सस्ते भावों में बेचना पड़ता है। यह व्यवसाय उन ग्रामीणों के हाथ में है जो बिल्कुल गरीब हैं, साधन सम्पन्न नहीं हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा पिछड़े हुए हैं। अतः गांवों के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए सहकारिता के माध्यम से राज्य में डेयरी विकास का व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया है।

राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में डेयरी विकास का सघन कार्यक्रम अपनाया गया। प्रारम्भ में सहकारिता के माध्यम से डेयरी विकास निगम का गठन किया गया है जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के राज्य स्तरीय फेडरेशन का गठन होने के पश्चात कार्य करना बन्द कर देगा। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य स्तर पर राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० जयपुर, क्षेत्रीय जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों और ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

विश्व बैंक की संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से भारत के दो राज्य कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी डेयरी विकास योजना संचालित की जा रही है जिसकी अवधि 1982 तक है।

प्राथमिक समितियां

सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य में त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित हैं। ये समितियां जिला या क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादक संघों की सदस्य हैं तथा राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का राज्य स्तरीय कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन भी गठित है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों में दुग्ध उत्पादक कृषक, लघु कृषक, सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक, समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्ति सदस्य होते हैं। ये समिति को दूध देते हैं। समितियां दूध संग्रहण करके दुग्ध उत्पादक संघों को भेजती हैं। साथ ही सदस्यों के लिए उन्नत पशु प्रजनन, अच्छा चारा, पशु आहार, चिकित्सा व्यवस्था, पशुओं सम्बन्धी तकनीकी राय आदि की व्यवस्था करती है।

डेयरी विकास का वृहत कार्यक्रम तैयार किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में सहकारी डेयरी विकास की परियोजनाओं के संचालन में विभिन्न संस्थाओं तथा एजेंसियों द्वारा आर्थिक सहयोग और ऋण प्रदान किया जा रहा है। ये हैं—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय दुग्ध विकास निगम, केन्द्रीय समवर्ती योजना, सूखा सम्भावित क्षेत्रीय परियोजना, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक परियोजना, राज्य परियोजना और जन जातीय उपयोजना।

उपरोक्त सभी स्रोतों से 1978-79 के अन्त तक डेयरी विकास पर 1938.53 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। छठी योजना में डेयरी विकास हेतु 13 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है तथा अन्य स्रोतों से 36 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। 1979-80 में 960.15 लाख रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है। 80-81 के लिए 890.91 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

डेयरी संयंत्र

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्रित दूध को कीटाणु रहित करने तथा अन्य पदार्थ बनाने हेतु राज्य में विभिन्न स्थानों पर डेयरी संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा

कुछ स्थानों पर की जा रही है। बीकानेर, जोधपुर और अलवर में एक लाख लीटर दूध की क्षमता के तथा अजमेर में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र कार्यशील हैं। बीकानेर और जोधपुर के संयंत्रों की क्षमता 1 लाख लीटर से 1 लाख 50 हजार लीटर की तथा अजमेर के संयंत्र की क्षमता 30,000 लीटर से बढ़ा कर 1 लाख लीटर की जा रही है। जयपुर में 1 लाख 50 हजार लीटर क्षमता वाला संयंत्र निर्माणाधीन है जिसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इसी प्रकार कोटा और उदयपुर में 25 हजार लीटर तथा हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में 1 लाख लीटर दैनिक क्षमता के डेयरी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी संयंत्रों के चालू होने पर दूध उत्पादन की दैनिक क्षमता 10 लाख 50 हजार लीटर होगी।

संकलित दूध को ठंडा कर डेयरी प्लांट तक लाने के लिए कई स्थानों पर प्रशीतक संयंत्र (चिलिंग प्लांट) स्थापित किए जा रहे हैं। पोकरण, पाली, बालोतरा, मेडता, लूणकरणसर प्रशीतक संयंत्रों की क्षमता 10 हजार लीटर से 20 हजार लीटर, मालपुरा संयंत्र की क्षमता 5 हजार से 20 हजार लीटर की जा रही है। कोटा और कोटपुतली संयंत्र तैयार हो गए हैं, जिनके शीघ्र कार्यशील होने की संभावना इनके अतिरिक्त गंगापुर सिटी, विजयनगर, ब्यावर, बाड़मेर नागौर, फलौदी, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फालना, सूरतगढ़, गंगानगर, नोहर व राजगढ़ में प्रशीतक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

पशु आहार संयंत्र

दूध उत्पादकों को चारा और पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पशु आहार संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। अजमेर में 100 टन और जयपुर में 40 टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र चालू हैं। जोधपुर में भी 100 टन दैनिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना शीघ्र की जा रही है। इस प्रकार सभी संयंत्रों की दैनिक उत्पादन क्षमता 440 टन हो जाएगी।

दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। विदेशी सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना मुख्यालयों पर वीर्य बैंकों की स्थापना की गई है।

कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं ग्राम स्तर पर भी 637 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। 1978-79 में 49126 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। सहकारी वर्ष 1979-80 में 60000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किए जाने की संभावना है।

लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषकों के विकास हेतु पशुपालन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लघु, सीमान्त तथा कृषि श्रमिकों को संकर बछिया पालने हेतु क्रमश: 50 प्रतिशत और 66 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना राज्य के 7 जिलों में लागू है तथा 1979-80 के अन्त तक 4821 लघु और सीमान्त कृषक लाभान्वित हो चुके हैं।

वर्तमान में 1480 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के लिए पशुओं के उपचार हेतु 33 चल पशु चिकित्सा इकाइयां तथा 12 आपातकालीन सेवा इकाइयां कार्यशील हैं। 1979-80 में 388153 पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

काम के बदले अनाज योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर, अजमेर और अलवर में 15 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के भवनों के निर्माण प्रारम्भ कार्य किए गए थे, जो करीबन पूर्ण होने को ही हैं। 1980-81 में 200 दूध उत्पादक सहकारी समितियों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है।

विदेशी पशु प्रजनन फार्म

डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में बस्सी में एक फार्म क्रियाशील है, जहां अच्छी नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा पशुओं का प्रजनन किया जाता है। इस फार्म में 123 विदेशी गाय और 45 सांड हैं। फार्म पर पशुओं की संख्या 251 है। 1980-81 में राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजौरी ग्राम में एक और पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया जा रहा है।

प्रगति

राज्य में एक डेयरी फेडरेशन तथा 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित है। इन 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के अधीन 19 जिले हैं। इसके अतिरिक्त 1924 ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित हैं। इन समितियों की सदस्यता 1975-76 में 23618 थी जो 1979-80 में बढ़कर 102515 हो गई।

अच्छी किस्म के चारे के बीज

उन्नत किस्म के हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों में उन्नत चारा बीज वितरण किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादक दुधारु पशुओं को हरा चारा देना अधिक पसन्द करते हैं और इस प्रवृति को प्रोत्साहित करने के लिए हरे चारे के प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

दुग्ध वितरण

जयपुर नगर में रहने वाले नागरिकों को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए 1979-80 में नगर के विभिन्न स्थानों पर 10 स्वचालित दूध केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा 15 ऐसे स्वचालित केन्द्र और खोले जा रहे हैं। जयपुर और अजमेर में प्रीपैक मशीनें स्थापित की गई है, जिनसे पोलीथीन की थैलियों में दूध वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

राजस्थान डेयरी फेडरेशन द्वारा दिल्ली की मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध वितरण योजना को डेढ़ लाख से ढाई लाख लीटर दूध प्रतिदिन भेजा जा रहा है।

किसी भी नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन का पता लगाने हेतु पहले उस गांव में दुध संकलन केन्द्र स्थापित किया जाता है। यदि यह केन्द्र सफलतापूर्वक चलता है तो बाद में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठित कर दी जाती है। ऐसे केन्द्रों की संख्या इस समय 240 है।

1979-80 में 10.95 करोड़ लीटर दूध एकत्र किया गया और 17.52 करोड़ रुपये दूध उत्पादकों को भुगतान किया गया।

1980-81 में 2500 दूध उत्पादक सहकारी समितियों के गठित किए जाने का प्रावधान है। इन समितियों द्वारा 4 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जाएगा। अभी राज्य में में केवल 19 जिलों में ही डेयरी विकास कार्यक्रम क्रियाशील है। □

भारत में इलायची की खेती

आर० बी० एल० गर्ग

आरम्भ से ही मसालों में इलायची का प्रमुख स्थान रहा है। यही कारण है कि इसे 'मसालों की रानी' कहा गया है। लेकिन अब तो इसका प्रयोग शराब तथा यहां तक कि सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में भी होने लगा है। अपने भारी औषध गुण के कारण भी देश-विदेश में यह लोकप्रिय है। गले की खराबियों तथा हृदय के लिए गुणकारी उत्तेजक के रूप में इसका विशेष प्रयोग होता है। जापान में इसे कढ़ी चूर्ण बनाने में इस्तेमाल करते हैं। भारत की तरह हालैंड, स्केन्डेनेविया (डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड तथा नार्वे) और अमेरिका में इसका प्रयोग पके भोजन को सुवासित व सुगन्धित करने के लिए किया जाता है। स्केन्डेनेविया तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में इलायची का प्रयोग मिष्ठान तथा पाक उद्योग में भी किया जाता है। सोवियत संघ में इसका प्रयोग खाद्य सामग्रियों में किया जाता है। अरब देशों में इलायची का प्रमुख उद्योग काफी में होता है जिसे 'कहवा' के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण खानाबदोश लोगों में कहवा पीने की परम्परा दीर्घकाल से चली आ रही है। ऐसा समझा जाता था कि शहरी सभ्यता के साथ नए पेयों के आने से इस परम्परागत पेय की लोकप्रियता में कमी होगी, लेकिन इसके विपरीत यह और भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और अब तो नए धनी सऊदी अरब इस परम्परागत पेय को प्रतिष्ठा का प्रतीक मान चुके हैं। पश्चिम एशिया के देशों में तो कोई भी उत्सव बिना इलायची पेय के पूरा नहीं माना जाता।

हमारे देश में इलायची की खेती मुख्यतः दक्षिण में होती है तथा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गत 5 वर्षों में इलायची का उत्पादन बढ़ा है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर)	इलायची का उत्पादन (टनों में)
1974-75	--	2900
1975-76	91476	3000
1976-77	91476	2400
1977-78	91476	3800
1978-79	91476	4000
1979-80	91476	4500

भारत की कुल इलायची खेती का 52 प्रतिशत क्षेत्र केरल, लगभग 40 प्रतिशत कर्नाटक तथा शेष तमिलनाडु में है। ऐतिहासिक दृष्टि से केरल राज्य के इदुक्की जिले में 100 मील में फैला जंगल इलायची का घर माना जाता है। लेकिन गत 2 दशकों में जंगलों के अंधाधुंध सफाये के कारण इलायची के उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादकता में लगातार संकुचन होता जा रहा है। आज प्रति एकड़ उपज 17 किलो है। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार उन्नत कृषि साधनों द्वारा इलायची की उपज 30 किलो प्रति एकड़ की जा सकती है। बड़ी इलायची का उत्पादन प्रमुख रूप से सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अकेले सिक्किम में बड़ी इलायची का वार्षिक उत्पादन 1800 टन है।

उत्पादन तथा निर्यात व्यापार

एक समय था जब समस्त विश्व में भारत इलायची का एकाधिकारी निर्यातक देश था। कुछ वर्षों से ग्वाटेमाला, तंजानिया तथा श्रीलंका ने इलायची के निर्यात व्यापार में प्रवेश किया है। ग्वाटेमाला, तंजानिया तथा श्रीलंका में इलायची का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 800 टन, 400 टन तथा 300 टन है। यह भारत के 3800 टन उत्पादन स्तर से बहुत पीछे है। भारत में इलायची का उत्पादन 1975-76 में लगभग 3000 टन था जो 1976-77 में गिरकर 2400 टन रह गया था। 1977-78 में पुनः एक बार यह बढ़कर 3800 टन हो गया जिसमें से 1200 टन के आंतरिक उपभोग को छोड़कर शेष का निर्यात किया गया। अब भी इलायची के कुल विश्व निर्यात में 90 प्रतिशत अंश भारत का ही है। भारत से इलायची का निर्यात करीब 70 देशों को किया जाता है। भारत से इलायची का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, जहां इलायची की सालाना खपत करीब 2 हजार टन है। भारत से इलायची के निर्यात का अवलोकन तालिका द्वारा किया जा सकता है।

1977-78 में इलायची का प्रति किलो निर्यात वसूली मूल्य 175.28 रुपये था जबकि 1976-77 तथा 1975-76 में यह क्रमशः 157.17 रुपये तथा 99.98 रुपये था। यही कारण है कि 1975-76 तथा 1976-77 में हमें इलायची के निर्यात से कम विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। यह मूल्य 1979-80 में और भी गिर गया जिसके कारण इस वर्ष निर्यात की मात्रा अधिक होने के बावजूद कुल निर्यात मूल्य में गिरावट ही आई।

वर्ष	निर्यात (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1972-73	1451	6.95
1973-74	1800	11.00
1974-75	1626	13.41
1975-76	1941	19.51
1976-77	893	14.03
1977-78	2683	46.99
1978-79	2876	58.35
1979-80	3100	57.00

समस्याएं और सुझाव

इसमें कोई शक नहीं कि भारत द्वारा किए जा रहे मसालों के निर्यात में इलायची का प्रमुख स्थान है तथा अभी तक इसके कुल निर्यात व्यापार में भारत का लगभग एकाधिकार है। लेकिन समस्याओं से घिरा होने के कारण यह उद्योग अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है, जबकि प्रतिद्वन्दी निर्यातक देश इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारत का इलायची उद्योग मुख्यत: अल्प-उत्पादन, अल्प-उत्पादकता, व्यवस्थित विपणन तकनीकों का अभाव, फल की बरबादी आदि समस्याओं से ग्रसित है। जहां अल्प उत्पादन के लिए विपरीत जलवायु दशाएं (समय पर मानसून का न आना) तथा पौधों की बीमारियां व वनस्पति कीट उत्तरदायी हैं, वहां जंगलों का तेजी से होता सफाया और अन्य फसलों को उगाने की आसक्ति भी कम जिम्मेदार नहीं। जहां तक प्रति एकड़ उपज का सवाल है, वह भी ग्वाटेमाला तथा तंजानिया की तुलना में कम है। सितम्बर 1977 में भ्रमण के लिए गए भारतीय शिष्टमण्डल ने देखा कि वहां इलायची की फसलें कीट व रोग मुक्त थीं। यही कारण है कि ग्वाटेमाला अमेरिका आदि देशों को इलायची कम मूल्य पर दे सकता है। भारत में वनस्पति कीट तथा चूहे इलायची के मूल तथा फल को भारी मात्रा में नष्ट कर देते हैं। चूंकि इलायची के समस्त खेतों में फलों की कटाई किसानों की सुविधा के कारण एक ही समय होती है, इसलिए कई बार फलों की परिपक्वता में अंतर के कारण उनकी किस्म तथा शक्ल में अंतर आ जाता है तथा उस उपज का हमें उचित मूल्य नहीं मिलता और कई बार हमारा माल ग्वाटेमाला की इलायची के आकर्षक रूप के सामने टिक नहीं पाता। विपणन के बारे में हमारी धारणा मात्र 'बेचने' की रही है और उसमें भी हम अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं कि वे स्वीकृत नमूनों के अनुसार माल नहीं भेजते और विलम्ब से भी भेजते हैं।

भारत के इलायची उद्योग का भविष्य उज्जवल है, वह हमारे निरन्तर बढ़ते हुए निर्यातों से स्पष्ट है। लेकिन विश्व व्यापार में स्थायित्व पाने के लिए उत्पादन और विपणन सम्बन्धी अवरोधों को समाप्त करना होगा। उत्पादकता की वृद्धि के लिए कृषि के सुधरे हुए तरीकों को अपनाना होगा। मूल्यों की विभिन्न स्तरों पर स्थिरता की आवश्यकता है, ताकि उत्पादकों के लिए उत्प्रेरक तथा उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो सकें। हर्ष की बात है कि इलायची बोर्ड ने हाल ही में उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। उद्योग के इतिहास में बोर्ड ने पहली बार विस्तृत खेती के प्रयास किए हैं तथा अनेक संवर्द्धनात्मक कदम उठाए हैं। उर्वरक तथा पौध संरक्षण यंत्रों के क्रय के लिए दी गई सहायता उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन अभी तक इलायची के उत्पादक बिचौलियों के चंगुल से आजाद नहीं हुए हैं। ये बिचौलिये एक ओर अपने ऋण का भारी ब्याज वसूल करते हैं तो दूसरी ओर अनेक उत्पाद को सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर लेते हैं। विश्व व्यापार की दृष्टि से हमें गुणवत्ता तथा प्रमाणन पर भी ध्यान देना होगा। □

फूल खिलें

ऐसे फूल खिलें उपवन में,
कोना-कोना महके।
भेद-भाव की भीत गिरादें,
स्वर्ग यहीं धरती पर लादें,
अपने श्रम-सीकर के बल पर
सबको जीवन-सुधा पिलादें।
मन-पंछी के मधु-गीतों से,
नंदन कानन चहके।
बढ़े सभी निज मंजिल पाने,
गूंजें रह-रह नए तराने,
देखें जिन आंखों में आंसू
हम उनको दें दें मुस्कानें।
शीतल मंद सुगंध पवन भी,
देख-देख कर लहके।
रहे नहीं—हो कैसा भी गम,
सजे सदा वीणा पर सरगम,
सबके घर ऐसा सुख बरसे
जैसे फूलों पर हो शबनम।
आज सभी दूषण जल जाएं,
ऐसी ज्वाला दहके।

रमाकान्त दीक्षित

नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित

पंडित जनार्दन राय नागर

भगवती लाल व्यास

राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के संस्थापक उपकुलपति, प्रमुख विचारक, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री पंडित जनार्दन राय नागर को 1980 का नेहरू साक्षरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इस पुरस्कार का प्रवर्तन भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा 1966 में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष देश में साक्षरता के प्रोत्साहन और प्रौढ़ शिक्षा में विशेष योगदान को सम्मानित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है। पं० नागर को यह पुरस्कार प्रौढ़ और वयस्क शिक्षा सम्बन्धी उनकी पिछले चार दशकों की अनवरत सेवा और विपुल साहित्य सृजन के उपलक्ष में प्रदान किया गया है।

पं० जनार्दन राय नागर का जन्म 16 जून, 1911 को उदयपुर में हुआ। अपनी उच्च शिक्षा समाप्त कर अधिस्नातक उपाधि प्राप्त करने तक पंडित नागर देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों और देशभक्तों के निकट सम्पर्क में आ चुके थे। 1937 में जबकि उन जैसे योग्य व्यक्ति के लिए सरकारी उच्च पद प्राप्त करना बहुत आसान था, उन्होंने शिक्षा प्रसार को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। शिक्षक के रूप में कुछ समय तक अपनी सेवाएं देने के उपरांत सन 1937 में उन्होंने अपने कतिपय सहयोगियों के साथ राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की जिसके अंतर्गत सम्प्रति 52 संस्थाएं चल रही हैं। पं० नागर राजस्थान विद्यापीठ को वयस्क शिक्षा का एक अनवरत अभियान मानते हैं। यद्यपि इस संकुल में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, समाज शिक्षा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, साहित्यिक शोध, सामुदायिक केन्द्र संगठन आदि से सम्बन्धित संस्थाएं ग्रामीण और नगर अंचलों में कार्य कर रही हैं।

समाज कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा आपको किन-किन महानुभावों से मिली? जब मैंने श्री जनु भाई (पं० नागर) से यह सवाल किया तो उन्होंने मुंशी प्रेमचन्द, रवीन्द्र नाथ टाकुर, सुमित्रानन्दन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचन्द्र शुक्ल तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम श्रद्धा के साथ लिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रसिद्ध शिक्षाविद् श्री ए० एस० नील की कुछ पुस्तकें पढ़ीं और उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। नील को पढ़ने के बाद मैंने "मैं शिक्षक क्यों बना?" शीर्षक श्रृंखला में कुछ निबन्ध लिखे जो उस समय प्रकाशित होने वाली पत्रिका बालहित में प्रकाशित हुए। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों के प्रभाव को स्वीकारते हुए जनु भाई ने बताया कि उसी समय मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हम अपनी संतति को पराधीनता के वायुमण्डल में सांस नहीं लेने देंगे।

जनु भाई ने अपना साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में आरंभ किया। आपकी पहली कहानी "तांगे वाला" "हिन्दू पंच" पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तदुपरान्त आपने मुंशी प्रेम चंद की अमर कृति रंगभूमि से प्रभावित होकर 'मातृभूमि' शीर्षक उपन्यास लिखा जिसे तत्कालीन शासन ने क्रांतिकारी विषय वस्तु के कारण जब्त कर जला दिया। प्रेमचंद परम्परा के लेखक जनु भाई गद्यगीत, उपन्यास, कहानी और कविता सभी विधाओं में लिखते हैं। उनके दो कहानी संग्रह, एक गद्यगीत संग्रह तथा एक नाटक संग्रह राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किए हैं। "आचार्य चाणक्य", "पतित का स्वर्ग" और "जीवन का सत्य" शीर्षक तीन नाटक इससे पूर्व प्रकाशित हो चुके थे। दो अन्य नाटक प्रकाश्य हैं। आजकल पंडित नागर "हिमालय के प्रवास" शीर्षक लम्बे गद्यगीतों की रचना कर रहे हैं। जनु भाई की सबसे महत्वपूर्ण कृति, जिसके प्रणयन में वे इन दिनों व्यस्त हैं, "जगद्गुरु शंकराचार्य" सिद्ध होगी जो लगभग 7000 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लगभग 4000 पृष्ठ लिख लिए गए हैं।

"प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वालों को आपका कोई संदेश?" मेरे इस प्रश्न के उत्तर में जनु भाई बोले—"हमारा कोई संदेश नहीं। हमारा तो 'सहकार' है। संदेश वही देता है जिसने काम करना बंद कर दिया हो।"

प्रौढ़ शिक्षा विषयक अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जनुभाई ने कहा कि हम अपनी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को सही रूप में तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वयस्क शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं कर लेते। आपने कहा कि वयस्क शिक्षा का आधार राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चैतन्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वशांति, अभय और प्राणि मात्र के लिए मंगल भाव का उदय होना चाहिए। उनकी दृढ़ मान्यता है कि प्रौढ़ शिक्षा ही सीधे मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती हुई उसे हिंसा की संस्कृति के विपरीत शांति की सभ्यता के सूत्रपात हेतु प्रेरित कर सकती है, अतः निस्सन्देह प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रनिर्माण का शिलान्यास है। □

झालावाड़ : संतरा उत्पादन में एक नया नाम

श्रीराम मिश्र

राजस्थान का हाड़ौती अंचल, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले आते हैं, हाड़ा राजपूतों की वीरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध रहा है। यहां के राजपूत वीरों की तलवार का पानी अपनी सानी नहीं रखता था। आधुनिक भारत के निर्माण के साथ ही इस अंचल में भी प्रगति और विकास की अनेक धाराएं प्रवाहित हुई हैं और अब इस भूभाग का झालावाड़ जिला अपने रसीले और मीठे संतरों के लिए तेजी से ख्याति अर्जित कर रहा है। राजस्थान की तेज, देह को झुलसाने वाली धूप और गर्मी में अब मीठे संतरों का रस मन में तरावट पैदा करने लगा है।

संतरे पैदा करने में अभी तक नागपुर का ही एकाधिकार था लेकिन शीघ्र ही यह एकाधिकार लगता है टूट जाएगा। पिछले 15-20 वर्षों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमांत अंचल झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी और बकानी में उत्कृष्ट और मीठे संतरों का उत्पादन होने लगा है और संतरों के बगीचों का तेजी से विस्तार हो रहा है। संतरों की बागवानी इस अंचल में तेजी से बढ़ रही है। अब यह सारा इलाका हरे, सुनहले, संतरों के सौन्दर्य से चमकने और पके संतरों की खुशबू से महकने लगा है।

संतरों की खेती इस अंचल के किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का वरदान लेकर आई है। फसल के रूप में संतरों की खेती किसानों की आय का एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण स्रोत बनती जा रही है। औसतन किसान एक एकड़ में 100 संतरे के पौधे लगाता है, जिनसे लगभग 3 हजार रुपये तक की आय हो जाती है। अनुमानतः इस अंचल के उत्पादकों को संतरा उत्पादन से लगभग प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की आय होती है।

बढ़िया जलवायुः अच्छी मिट्टी

इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगदी फसल होने के कारण अन्य किसान तेजी से इस खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संतरों के अच्छे उत्पादन के लिए इस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही उत्तम है। क्योंकि यहां पर वर्ष में 30 इंच से अधिक वर्षा होती है और गर्मी में अधिक गर्मी तथा सर्दी में कम सर्दी पड़ती है। क्षेत्र की काली मिट्टी वाली भूमि संतरा उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। जमीन की सतह के लगभग एक मीटर नीचे मुरम की सतह पाई जाती है जोकि अच्छे संतरे के उत्पादन के लिए विशेषज्ञों की राय के अनुसार बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार भूमि व जलवायु को देखते हुए ही राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को संतरा उत्पादन के लिए चयन किया है।

राज्य सरकार द्वारा संतरा वृक्षारोपण योजना इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1972 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत नलकूप गहरा करवाने, विद्युत-डीजल पम्प सेट लगवाने और संतरा बाग लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इस ऋण का पांच वर्ष तक केवल ब्याज ही वसूल किया जाता है और छठे वर्ष में जब फसल आनी शुरू हो जाती है तब ऋणों की किस्तें ली जाती हैं।

सिंचाई योजनाओं का दुहरा लाभ

संतरा वृक्षारोपण योजना के तहत अन्य लघु सिंचाई योजनाओं की तरह नए कुएं बनाने, गहरा करवाने, पम्पसेट लगवाने आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इससे कृषकों और राज्य सरकार को दुहरा लाभ होता है। लघु सिंचाई के साधनों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और अन्नोत्पादन के क्षेत्रफल में तो वृद्धि होती ही है। इसके साथ ही संतरों के पौधों के बीच में भी किसान छोटी-छोटी फसलें लेकर जमीन का तब तक उपभोग कर सकता है जब तक कि पौधे बड़े होकर उपज देना प्रारम्भ नहीं करते।

बारह सौ एकड़ में संतरे के बाग

संतरा उत्पादन की शुरुआत जिले की पंचायत समिति झालरापाटन और सुनेल में की गई। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 485 एकड़ क्षेत्र में संतरे के बाग लगाए गए हैं। इसके अलावा नये कुओं की खुदाई कराने, उन्हें गहरा करवाने, पम्पसेट आदि के निर्माण के लिए 25.37 लाख रुपया कृषकों को ऋण के रूप में वितरित किया गया है। संतरे की बागवानी की सफलता को देखते हुए ही जिले की पंचायत समिति झालरा पाटन एवं सुनेल के लिए वर्ष 1978 में 400 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में संतरों के नए बाग लगाने की योजना प्रारम्भ की गई है। यह कार्यक्रम 1984 में पूरा किया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत अब तक पूरा 274 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके लिए अब तक 25.51 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। इसी प्रकार पंचायत समिति बकानी में 300 एकड़ क्षेत्र को संतरा वृक्षारोपण हेतु 35.71 लाख रुपये की एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार जिले के 1200 एकड़ क्षेत्र में संतरा वृक्षारोपण का कार्य 1982 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके पूर्ण होने पर कृषकों की माली हालत तो सुधरेगी ही, अन्य अतिरिक्त उद्योग जैसे ओरेन्ज जूस, तेल व परफ्यूमरी आदि का विकास संभव हो सकेगा, जिससे इस अंचल की खुशहाली बढ़ेगी। □

नया सूरज

डा. प्रेमचन्द्र गोस्वामी

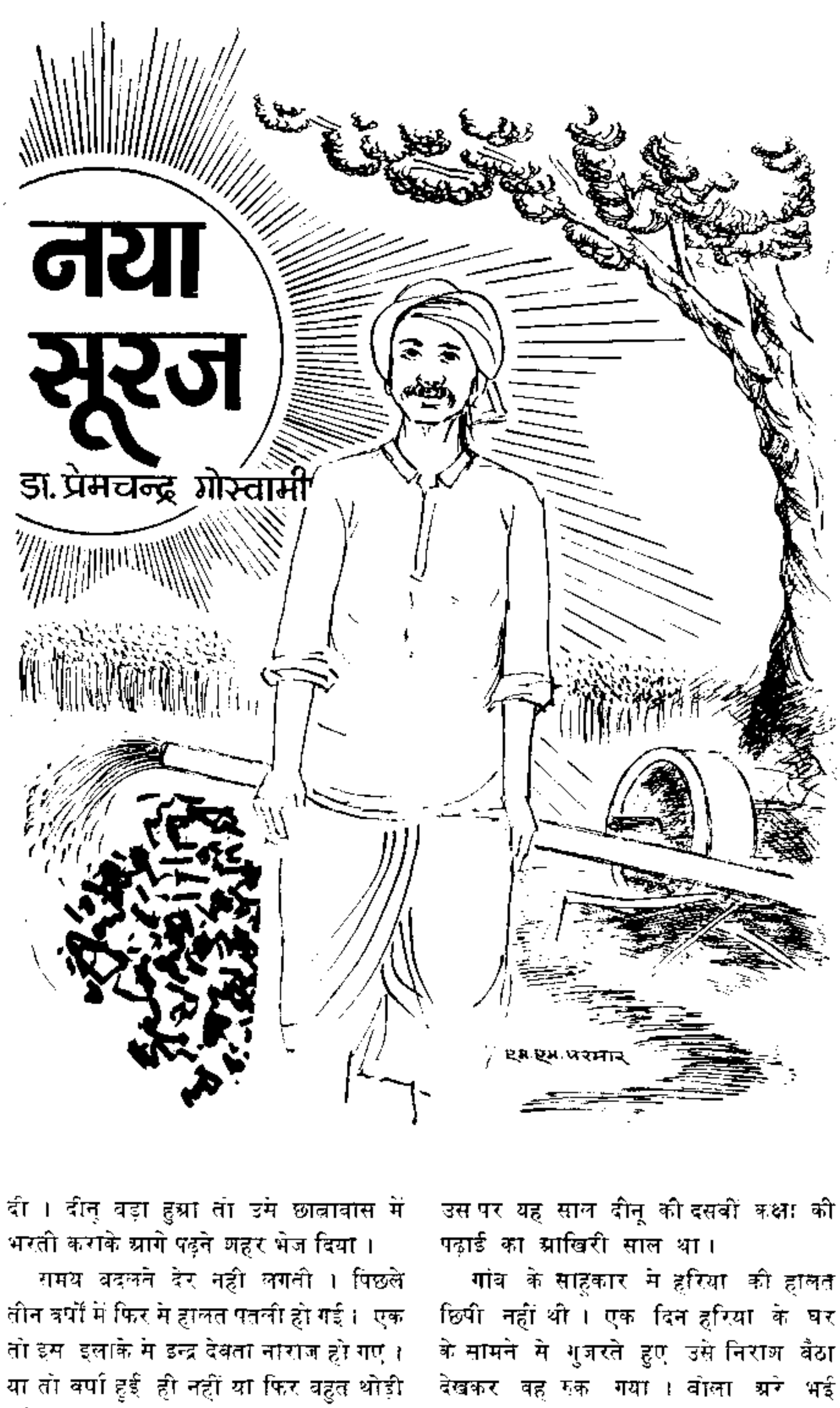

राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटे से गांव का निवासी हरिया अपने खेत में काम करके हर रोज समय पर घर पहुंच जाता। कुछ देर अपने घर के चबूतरे पर बैठकर वह आराम करता। फिर अपनी छोटी बच्ची से खेलता और अपनी घरवाली लक्ष्मी के साथ मुहल्ले और खेत-खलिहान की बातें करता। हरिया जितनी देर चबूतरे पर बैठता उतनी देर लक्ष्मी साग-सब्जी काटती हुई या या दाल बीनती हुई घूंघट काढ़े दरवाजे पर बैठी उससे बतियाती रहती। बाद में हरिया भोजन करके चौपाल पर पहुंच जाता। उसे हुक्का-चिलम का शौक नहीं था पर इधर-उधर की बातें करने में उसे बहुत रस आता था। उसकी घरवाली अक्सर कहा करती——गप्पें लगाने में तो आप औरतों को भी मात करते हैं।

हरिया अपनी घरवाली की बात पर हंस देता पर मन ही मन अपनी यह आदत भी छोड़ने का इरादा दुहराता रहता। वह जानता था कि पक्के इरादे के साथ कोशिश करने पर आदमी बुरी से बुरी आदत भी छोड़ सकता है और मुश्किल काम भी कर सकता है।

अभी कुछ वर्षों पहले की ही बात है। एक दिन उसने मन ही मन इरादा किया था कि वह आगे से खूब लगन और मेहनत के साथ काम करके खुद को गांव के साहूकार रामधन के कर्ज से छुड़ा लेगा और आराम की जिन्दगी बिताएगा।

उसे याद है उसने अपने इस इरादे को ईमानदारी के साथ काम करके साकार किया था। पहले जहां आधे खेत में बुआई करता था, वहां उसने पूरे खेत को बोया। बाजरा और जौ की फसलों के अलावा सरलता से उगने वाली फल-सब्जियां भी बोईं और फलने पर उनका लाभ उठाया। दो-तीन सालों में ही खुद को साहूकार के कर्ज से छुड़ा लिया। अपनी चार बीघा जमीन और पड़ोसी के कुएं का पानी लेकर वह अपने छोटे से परिवार के साथ आजादी की सांस लेने में सफल हुआ। सोचा अब कभी साहूकार के चंगुल में नहीं फसूंगा।

हरिया की बहू लक्ष्मी ने उसका हर कदम पर साथ दिया। इधर खेत में हरिया के साथ मेहनत की और उधर अपने बड़े बच्चे दीनू को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए बराबर भेजती रही। उनकी बच्ची मीना अभी छोटी थी। उसे भी स्कूल की आदत डाल दी। दीनू बड़ा हुआ तो उसे छात्रावास में भरती कराके आगे पढ़ने शहर भेज दिया।

समय बदलते देर नहीं लगती। पिछले तीन वर्षों में फिर से हालत पतली हो गई। एक तो इस इलाके से इन्द्र देवता नाराज हो गए। या तो वर्षा हुई ही नहीं या फिर बहुत थोड़ी हुई। पूरे तीन वर्ष तक फसल चौपट होती रही और हरिया की माली हालत बिगड़ती गई। एक तो खेत-खलिहान से आमदनी नहीं रही और दूसरे दीनू को शहर में पढ़ाने से खर्चा बढ़ गया। शहर में उसके स्कूल की फीस, पुस्तकों और छात्रावास का खर्च और रहन-सहन के दूसरे खर्चे। तीन ही वर्ष में घर में रोटी के लाले पड़ गए। उस पर यह साल दीनू की दसवीं कक्षा की पढ़ाई का आखिरी साल था।

गांव के साहूकार से हरिया की हालत छिपी नहीं थी। एक दिन हरिया के घर के सामने से गुजरते हुए उसे निराश बैठा देखकर वह रुक गया। बोला अरे भई हरिया, मेरे बारे में तुम किसी से कुछ भी कहो मगर मुझसे तो किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। अब तुम्हीं कहो मैंने तुमसे कभी कुछ लेन-देन के लिए मनाही की हो।" फिर हरिया के घर की ओर एक नजर डालकर कहा, "अरे भई घर-गिरस्ती है। बीज-खाद है। कुएं की मरम्मत करानी है, पम्प लगाना है। सभी कुछ के लिए पैसा चाहिए।"

हरिया बोला— "हां पैसा तो चाहिए मगर····।"

"बस इस अगर मगर के चक्कर में ही तुम्हारी आज यह हालत हो गई। जरा देखो तुम तो जैसे-तैसे फटे हाल भी अपना काम चला लोगे मगर अपने बच्चे दीनू की तो सोचो। शहर में पढ़ रहा है। परीक्षा सर पर है। छात्रावास की फीस बाकी है। कपड़े-लत्ते भी चाहिए।"

"बस-बस साहूकार जी।" हरिया ने अपनी सभी जरूरतों को सामने खड़ा देखकर घबराते हुए कहा। "साहूकारजी, बस इन्हीं बातों को सोचकर माथा खराब हो रहा है।"

"तो क्यों खराब करते हो माथा। उसे किसी काम में लगाओ। कल को जब दीनू शहर से गांव आएगा तब उसे भी तो कुछ काम लगाके देना है या नहीं।" इतना कह रामधन घर के दरवाजे पर खड़ी लक्ष्मी से बोला--"बहू मैं तो बहुत समझा चुका। अब तुम ही इसे समझाओ। और हां, मैं तो तुम लोगों की मदद करने को हर समय तैयार हूं। चाहो तो मूलधन दो-तीन साल तक मत देना। और क्या।" इतना कहकर सियाराम-सियाराम बोलते हुए साहूकार रामधन चला गया।

हरिया आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से उसे एक रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना था। या तो वह खेत में अपना कुआं बनाने और शहर में बच्चे की पढ़ाई के सुहाने सपने को तोड़ दे या फिर से उसी व्याज खाने वाले राक्षस साहूकार रामधन की शरण में चला जाए जिसके चंगुल से उसका बाप कभी नहीं छूट सका और खुद उसे छुटने में बरसों लग गए।

उसे चुप देखकर लक्ष्मी ने कहा—"साहूकार ठीक ही कहता है। ऐसे बुरे बखत पर कम से कम हमारी मदद तो करना चाहता है।"

"तुम बहुत भोली हो लक्ष्मी। साहूकार हमारी मदद नहीं करना चाहता बल्कि हमें फिर से अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। अनाप-सनाप व्याज में अंगूठा लगवाकर हमारा खेत और धन दोनों हड़प लेना चाहता है।"

"सोच लो। भगवान करे हमारे दिन सदा तो ऐसे रहेंगे नहीं। इधर हथेली पर कुछ पैसा आया तो साहूकार की तरफ सरका देंगे।"

"हां" इस बार हरिया की आवाज हताशा से भरी थी। वह बोला—"लक्ष्मी मैंने मन ही मन साहूकार से रकम न लेने की कसम खाई थी मगर अब लगता है जैसे यह कसम तोड़नी पड़ेगी।"

लक्ष्मी ने बात आगे न बढ़ाकर भोजन की थाली हरिया के आगे रख दी।

अंधेरा होते-होते हरिया चौपाल पर पहुंच गया। आज चौपाल पर उसका बचपन का साथी लछमन भी आया हुआ था। वह पढ़-लिखने के बाद कई वर्षों से शहर के एक बैंक में काम कर रहा था। हरिया की सूरत देखकर लछमन उसकी परेशानी भांप गया। उसे एक ओर ले जाकर बोला—"क्यों भाई अपने दोस्त को अपनी परेशानी नहीं बताओगे।

हरिया ने पहले तो संकोच किया, परन्तु फिर सारी बात साफ-साफ कह दी। सुनकर लछमन ठहाका मारकर हंसने लगा। बोला "अरे हरिया, तूने भी भली कही। तू तो सचमुच पानी में रह कर प्यासा है रे।"

हरिया उसे आंखें फाड़-फाड़कर देखने लगा।

लछमन बोला—"हां। तुझे साहूकार की देहरी चढ़ने की जरूरत ही नहीं। हां तू शायद नहीं जानता है कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए सरकार ने अपने गांव में भी ग्रामीण बैंक की शाखा खोल दी है। इस बैंक को खुले हुए तो अर्सा हुआ!"

"अच्छा! मगर इस बैंक से मुझे पैसे कैसे मिलेंगे?" हरिया ने अचरज के साथ पूछा।

"जैसे हरेक किसान को मिलते हैं। खेत में कुआं खुदवाने, खाद और बीज खरीदने, खेती के औजार खरीदने और यहां तक कि छोटे उद्योग-धंधों और बच्चों की शिक्षा के लिए भी ये बैंक कम व्याज पर कर्ज देते हैं।"

"तो क्या ग्रामीण बैंक मुझे साहूकार के चंगुल में जाने से बचा लेगा," हरिया ने पूछा।

"और नहीं तो क्या। भैया तुम कल ही मेरे साथ चलना। तुम्हें अपनी सब जरूरतों के लिए कम व्याज और आसान किश्तों पर रुपया दिलवा दूंगा।"

"फिर तो मेरे दिन फिर जाएंगे।"

"भैया फिर जाएंगे नहीं फिर गए समझो। ग्रामीण बैंक किसानों के लिए नए भोर की नई किरण बनकर आया है।"

और सचमुच दूसरे दिन जब हरिया अपनी जरूरतों के लिए ग्रामीण बैंक से रुपया उधार लेकर आया तो उसे लगा जैसे नए सूरज की नई किरणों ने उसके घर को जगमगा दिया है। वह नए उत्साह से मेहनत करने में जुट गया। □

भमरीबाई के दिन फिरे

आदिवासी महिला भमरीबाई अपने ग्राम मालिया बरखेड़ा राघोगढ़ जि० गुना से चलकर जब राघोगढ़ बैंक शाखा में पहुंची तो उसके चेहरे पर आत्म-विश्वास की चमक थी। उसने अपनी असिंचित खेती को सिंचित में बदलने का इरादा कर लिया है। उसके दो लड़के कमल और अमर जो अब तक लकड़ियां बेचकर गुजारा करते थे, अब 16 बीघा जमीन के मालिक बन गए हैं।

पैंतीस वर्ष से भमरीबाई इस जमीन पर काबिज है परन्तु इस दरम्यान उसकी जमीन गैरआदिवासी समृद्ध परिवारों ने बलपूर्वक हथिया ली थी। भमरीबाई का परिवार खून का घूंट पीकर रह गया। पिछले कुछ माह पहले गांव में डोंडी पीटी गई कि सरकार ने आदिवासियों की गैर-आदिवासियों द्वारा हथियाई गई जमीन वापिस दिलाकर न्याय देने का फैसला किया है। भमरीबाई ने राघोगढ़ तहसीलदार के मकान पर पहुंच कर फरियाद की। उसे जीवन में पहली बार अहसास हुआ कि भले ही देर हो अंधेर नही है। उसकी सुनवाई हुई। राजस्व अधिकारियों की पहल पर उसके हक हकूक वापिस दिला दिए गए। जमीन पर खड़ी ज्वार की फसल भी अब भमरीबाई को मिल गई है। यह बताते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए।

भमरीबाई ने बताया कि उसका गांव आमाखेड़ा ग्राम पंचायत में आता है और वहां राशन की शक्कर भी बंटने लगी है। हाकिम, अफसरों ने पिछले दिनों साप्ताहिक हाट में तंबू लगाकर गांववालों को जमा किया था और उनकी फरियादे सुनी थीं।

जब भमरीबाई से उसकी भावी योजना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि अब उसके दिन फिरेंगे। अफसरों ने उसे कुआं खोदने और पम्प लगाने में मदद देने का वायदा किया है। विगत कुछ दिनों से मध्यप्रदेश शासन की क्रांतिकारी नीतियों पर तत्परता पूर्वक अमल से ऐसी कितनी ही भमरीबाई की आंखों के आंसू पुछे हैं। □

गांवों का विकास कैसे संभव

आयोजक : अहद 'प्रकाश'

इस वर्ष गांधी जयन्ती से समूचे देश में समग्र ग्राम विकास योजना लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत सारे 5004 विकास खण्डों में समाज के सबसे गरीब वर्गों के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कार्य शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण दरिद्र परिवारों को उनकी गरीबी से छुटकारा दिलाना है। हालांकि इस कार्यक्रम के जरिये अगले पांच साल में गरीब डेढ़ करोड़ ग्रामीण परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है।

फिर भी इस ओर जन सहयोग और जन जागरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव अगर जागते हैं तो देश तरक्की करेगा और अगर हमारे गांव दरिद्रता, बेकारी, भुखमरी, अकाल और अव्यवस्था की दलदल में फंसे रहे तो देश सचमुच में खोखला हो जाएगा।

गांवों में कौन-कौन से रोजगार फल-फूल सकते हैं जिनमें हमारे यहां के ग्रामीण युवा लगकर देश की जबरदस्त शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। बेहतर बात तो यह है कि सरकार और प्रबुद्ध जनों को मिलकर गांवों में विकास संभावनाओं का पता लगाना है और उन्हें अमल में लाना है।

गांवों में ऐसे बहुत से पढ़े-लिखे लोग मिल जाएंगे जो अपने उद्योग धन्धे अपने गांव में ही कायम करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी और पूंजी न होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। दरअसल उनको सहायता पहुंचाना न केवल सरकार का बल्कि उन सभी प्रबुद्ध जनों का काम है जो ग्राम विकास द्वारा देश का भला चाहते हैं। आइए, इसी ज्वलंत विषय पर शहरी मित्रों से चर्चा की जाए। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहरी भाई भी गांवों की उन्नति के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं।

कुमारी प्रज्ञा अनुरागी, छात्रा, भोपाल

नए लोग जो पढ़-लिखकर कामगारों की श्रेणी में आते हैं वे अजीब सी कशमकश में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नौकरी के लिए मारे-मारे फिरना अनेक युवकों की बदनसीबी है। लेकिन होता क्या है कि वे फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। वे शहरों की तरफ भागते हैं और यह प्रवृत्ति खतरनाक प्रवृत्ति है। मेरे विचार से गांवों के युवकों को अपने ही गांवों में रोजगार प्राप्त करना चाहिए और अपने गांवों में ही काम करना चाहिए। खेतीबाड़ी और बागवानी के कामों के लिये बैंक कर्ज दे सकते हैं। जब यह काम आधुनिक तरीके से गांवों में विकसित होगा तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। मेरी दृष्टि में इसके लिए बहुत गुंजाइशें हैं। सबसे बड़ी बात जहां तक मैं सोचती हूं सरकार की मदद नहीं है बल्कि देश हित में एक-जुट होकर सोचना, कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना और अपने बलबूते पर नए रोजगार खोजना है। प्रत्येक गांव के युवा ऐसा सोचते हैं तो गांव का विकास अवश्य होगा, देश जरूर तरक्की करेगा।

श्री आई० एन० केप्टन, रेलवे विभाग में कार्यरत, बम्बई

बहुत सारे छोटे-छोटे उद्योग धन्धे जैसे मछली पालन, मुर्गीपालन, काश्तकारी, बागवानी, मिट्टी के खेल-खिलौने और बर्तन बनाना, बांस की वस्तुएं बनाना, चमड़े की चीजें बनाना आदि गांवों में ही बखूबी किए जा सकते हैं। गांवों के सभी लोग उत्पादन में लगेंगे तो स्वयं वे आत्मनिर्भर और खुशहाल होंगे, दूसरे इनसे सारे देश को लाभ होगा। अगर गांव के सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे तो यकीनन विकास होगा।

कुमारी नुसरत सईद, एडवोकेट, सिरोंज (म० प्र०)

सबसे बड़ी बात है कि गांव से जुड़ना, अपनी मिट्टी से जुड़ना, अपने आकाश को अपना आकाश समझना। हम जहां पैदा हुए, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, उससे अलग अगर हमें स्वर्ग में भी भेजा जाता है तो स्वर्ग हमारी धरती मां से बेहतर नहीं हो सकता। गांव का विकास तभी संभव हो सकेगा जब प्रत्येक युवक यह सोच ले कि उसे अपने गांव के लिए कुछ करना है। पहले के जमाने में न तो पेट्रोल था, न सिनेमा था, न रेडियो था और न ये सब आधुनिक चीजें थीं। ये सारी चीजें तो अभी आई हैं, इनकी चका-चौंध ने ग्रामीण युवकों को गुमराह किया है। माना कि ये सब चीजें अच्छी हैं, हमें आराम देती हैं हमें प्रगतिशील बनाती हैं। दुनिया की तरक्की में इनकी विशेष भूमिका है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी लोगों को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती, सुख और शांति नहीं है। हर तरफ दुख और परेशानियां ज्यादा हैं। एक शेर याद आ रहा है :—

आदमी जब भी मिला मुझको परेशान मिला

[शेष पृष्ठ 20 पर]

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और नया विकास दृष्टिकोण

देवदत्त

हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का ढांचा विस्तृत है। इसके द्वारा विविध सेवाएं प्रदान की गई हैं और इस पर खर्च की गई राशि भी विशाल है।

किन्तु हमें विचार करना होगा कि 1962 में बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्या उसके अनुरूप हमें परिणाम हासिल हुए हैं ? अभी हम औसतन 100 करोड़ रु० के वार्षिक बजट से 5358 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1986 परिवार नियोजन केन्द्रों और 46564 उपकेन्द्रों को चला रहे हैं। देश के कुल 392 जिलों में से 368 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 73976 लोग कार्यरत हैं।

15 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के 100 में से केवल 22 जोड़ों को बच्चे होने की संभावना से बचाया गया है। जन्म नियंत्रण के तरीके अपनाने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख 30 हजार है। लगभग 380 लाख अनचाहे गर्भ रोके गए हैं।

1962 में कार्यक्रम शुरू करते समय जन्म दर 42 प्रति हजार से 25 प्रति हजार तक घटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 1977 तक इसे केवल 33 प्रति हजार तक नीचे लाया जा सका। 1977-78 और 1978-79 के दौरान कार्यक्रम का अनुपालन संतोषजनक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1983 तक जन्म दर केवल प्रति हजार 32 तक नीचे आ पाएगी।

इस स्थिति को देखते हुए सेवाओं और विस्तार के स्वरूप पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और इसके साथ ही कार्यक्रम को अपनाने में कठिनाई उत्पन्न करने वाली सामाजिक बुराइयों का सावधानी पूर्वक निदान करने की आवश्यकता है।

निश्चय ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम को व्यापक अवधि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके प्रभाव को आंकने के लिए दो पीढ़ियों का समय देखना पड़ेगा। इस पर खर्च की जाने वाली राशि का तात्कालिक परिणाम देखने को नहीं मिल सकता। अगर हम अपने लक्ष्यों के बारे में गंभीर हैं और सारी विकासात्मक उपलब्धियों को व्यर्थ कर देने वाली बेलगाम जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो कार्यक्रम को हर प्रकार से सुदृढ़ बनाना ही होगा।

लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यक्रम की दो दिशाएं होनी चाहिए। एक तो सेवाओं और विस्तार प्रणालियों के स्वरूप को सुधारना तथा दूसरे अज्ञान, गलतफहमियों, अर्द्धसत्यों, अन्धविश्वासों आदि से बनी ग्रामीणों की गलत मानसिकता से जूझना।

नई नीति का विकास

योजना आयोग विशेषज्ञ समूह ने जनसंख्या नीति के लिए यह लक्ष्य सुझाया है कि सन 2000 के अन्त तक एक परिवार में प्रजनन योग्य आयु में केवल एक लड़की हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ दो बच्चों वाली परिवार प्रणाली अंगीकार करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन्म दर को सन 2000 तक वर्तमान दर प्रति हजार 33 से प्रति हजार 21 तक घटाना होगा। अनुमान है कि मृत्यु दर प्रति हजार 14 से प्रति हजार 9 तक गिर जाएगी और शिशु मृत्यु दर वर्तमान प्रति हजार 129 से प्रति हजार 60 तक गिर जाएगी।

सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सामना करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था अपने आप में अपर्याप्त है। इसकी कमजोरियों को दूर करके इसे और कार्यशील बनाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम अभी हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य तंत्र के प्रतिरोधात्मक पहलुओं का एक हिस्सा है, जिसका दूसरा पहलू चिकित्सा सम्बन्धी है। भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य तंत्र का कुल मिला कर झुकाव रोग दूर करने की ओर है। प्रतिरोधात्मक पहलू और सामाजिक चिकित्सा के प्रति साधारणतया अरुचि परिवार नियोजन की उन्नति में बाधक ही रही है।

परिवार नियोजन कार्य में लगे हजारों कार्मिकों में से कुछ को छोड़कर बाकी कार्यक्रम के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध नहीं हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिक गहरी मानवीय सम्पृक्ति और धैर्य तथा एक जन-सापेक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस कार्यक्रम के संचालन में संलग्न कितने लोग कार्यक्रम को सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं।

अनिवार्य नसबंदी के विकल्प में कुछ निरुत्साहित करने वाले नियम बनाए जाने चाहिए। जैसे उन उद्योगों में जहां अधिक स्त्रियां काम करती हों, प्रसूति लाभों को तीन बच्चों के बाद बंद कर देना चाहिए। इन क्षेत्रों में जन्म दर अधिक है। फलस्वरूप प्रसूति के दौरान वेतन, अस्पतालों में इलाज, गर्भपात आदि के कारण प्रशासन पर अधिक खर्च होता है।

परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहनस्वरूप आर्थिक या इसी प्रकार की कोई अन्य सहायता देना उपयुक्त नहीं है। जैसे मूल्य देकर रक्तदान सेवाएं सारी दुनिया में असफल रहीं और स्वैच्छिक रक्तदान सेवाएं सफल रहीं। उसी तरह कुछ ले देकर कार्यान्वित किया जाने

वाला परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी सफल नहीं हो सकेगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए इसकी परिधि के बाहर शिक्षात्मक आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है। इस अभियान को केवल स्वास्थ्य विभाग अकेला नहीं चला सकता।

परिवार नियोजन की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग अभी तक उपेक्षित रहा है और जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी रूप से चलाया जा सकता है वह है बच्चों को यौन शिक्षा देना।

फिलहाल परिवार नियोजन के अभियान मुख्यतः स्त्रियों की ओर अभिमुख हैं। भारत में बच्चों की संख्या का निर्णय चूंकि पति पर निर्भर होता है, परिवार नियोजन के अनुकूलतम लाभ नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति को बदलना आवश्यक है। एक बात और है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप या उपयुक्त राजनीतिक समर्थन का अभाव दोनों ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसे टालने का प्रयास होना चाहिए।

इसके बाद महत्वपूर्ण बात है ग्रामीण क्षेत्र में जनमत। समाज में पिछड़ापन, अशान्ति और फूट सहकारिता पर आधारित किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं पैदा करते। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए तो ये विशेष रूप से बाधक हैं।

परिवार नियोजन और आर्थिक विकास

अन्ततः सबसे अच्छा गर्भनिरोधक तो आर्थिक विकास है। जनन क्षमता का ह्रास सबसे निम्न स्तर के तबकों की आमदनी में परिवर्तन के साथ जितना जुड़ा हुआ है उतना प्रतिव्यक्ति आय में परिवर्तन पर नहीं। 50 से 70 वर्ष पहले बहुत से यूरोपीय देशों की जन्म दर, बहुत से अविकसित देशों की वर्तमान जन्म दर के बराबर थी। इन देशों में जन्म दर में जो तेजी से गिरावट आई वह गर्भनिरोधक के कारण उतनी नहीं थी जितनी सामाजिक और आर्थिक कारणों से आई थी। निम्नतर जन्म दर और विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, यह तथ्य यूरोप, अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के अनुभव से सिद्ध हो चुका है।

माता-पिता को परिवार नियोजन के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण रुख अपनाने को प्रेरित करने के लिए तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत से सामान्य उपाय हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- —ऐसे कार्यक्रम जो भाग्यवादी धारणा को समाप्त करें और लोगों को आश्वस्त करें कि वे अपने प्रयत्नों से अपनी स्थिति बदल सकते हैं।
- —आर्थिक बेहतरी के सुअवसरों का और अधिक स्पष्ट वितरण और आर्थिक-सामाजिक उन्नति की अधिक संभावनाएं।
- —लड़कियों की सामान्य शिक्षा और महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम। ये दोनों ही बच्चों के प्रति माता-पिता की आकांक्षाओं को जगाते हैं। अनिवार्य स्कूल शिक्षा, जिससे बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकेगा और इस प्रकार बड़े परिवार बनाने का लोभ संवरण होगा।
- —माता और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाओं से बच्चे का व्यक्तिगत महत्व बढ़ जाता है।
- —विवाह की आयु बढ़ा देने से अकाल प्रौढ़ संतानोत्पत्ति पर रोक लगेगी।
- —प्रजनन से संबंधित शरीर विज्ञान के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा।

गर्भ निरोध से अलग जनसंख्या नियंत्रण के इन उपायों की प्रभावोत्पादकता का प्रमाण केवल यूरोपीय देशों और अमेरिका में ही नहीं मिला है अपितु सोवियत संघ के एशियाई भाग के विकास में भी मिला है।

यह साफतौर पर जाहिर है कि बड़े परिवार का अंतिम हल सामाजिक-आर्थिक विकास है। लेकिन हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। अतः गर्भ-निरोधक कार्यों को और प्रभावी करना चाहिए और यह तभी हो सकता है यदि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बड़े आन्दोलन का भाग माना जाए। वर्तमान व्यवस्था को अधिक विस्तृत आधार प्रदान किया जाना चाहिए। □

[पृष्ठ 18 का शेष]

कितना मसरूफ मुझे आज का इन्सान मिला। ये आदमी की परेशानी, उसकी मसरूफियत इसलिए है कि वह भागा-दौड़ी, चमक दमक और खींचातानी का आदी हो गया है और आप देखते हैं मानव मूल्य कितने विघटित हो गये हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने गांवों को छोड़ दिया है और शहर का धुआं हमारी आंखों में घुस गया है, शहर का शोर हमारे कानों को बहरा बना चुका है। अब हरेक आदमी को गांव की तरफ देखना है। शहरों से भागकर गांवों में पनाह लेना है, तभी उसे मुक्ति, शांति और आराम मिल सकेगा।

श्री सुहेल कादिर, समाज सेवा संगठन के महासचिव, भोपाल

गांवों को आत्म निर्भर और विकासशील गांव के लोग ही बना सकते है। गांवों का विकास तभी संभव है जब गांवों के लोग जागरूक, शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार बनें। वैसे शिक्षा का प्रसार पहले की अपेक्षा ज्यादा है। गांवों में अब आशाएं जाग रही हैं। हमारे देश में गांव स्वर्ग बन सकते हैं बशर्ते कि लोग गांव में बस कर गांवों के लिए काम करें।

श्रीमती आई० एन० केप्टन, स्टाफ नर्स, बम्बई

गांव विकास तभी करेंगे जब वहां अन्धविश्वास नहीं होगा। आपस में लड़ाई-झगड़ा मन मुटाव नहीं होगा। ऊंच-नीच और जात-पात की बात नहीं होगी। अगर गांवों के तमाम लोग मोहब्बत और भाईचारे की भावना लेकर रहते हैं तो यकीनन गांव विकास करेंगे। जहां तक गरीबी, बेकारी, पिछड़ापन, अशिक्षा जैसी बुराइयां गांवों में हैं तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैंने, कुछेक गांव बड़े साफ-सुथरे और समृद्ध देखे हैं और कुछ गांव ऐसे भी देखे हैं जहां लोगों के लिए रोटी हासिल करना बहुत मुश्किल है। वहां एक दूसरे का शोषण होता है, एक दूसरे पर जुल्म होता है। उसकी वजह ग्रामीण जागरण और ग्रामीण पिछड़ापन है। गांव के विकास की जिम्मेदारी हमारे नेताओं की ज्यादा है। जिस क्षेत्र का जो भी नेता है उसे चाहिए कि अपने क्षेत्र के समस्त गांवों के विकास के लिए जन-सहयोग द्वारा योजनाएं बनाए और उन पर अमल कराए।

छोटा परिवार सुखी परिवार

शिवपुरी का वन विद्यालय

एन० पी० चौबे

हरे भरे वन प्रकृति का जहां शृंगार करते हैं तो वहीं मानव जीवन में मधुरता घोलने के लिए भी उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। समूचे संसार में आज समृद्ध वनों की आवश्यकता को एकमत से अनुभव किया जा रहा है। समय पर अनुकूल वर्षा की समस्या हो अथवा ग्रामीणों और वनवासियों के भरण-पोषण तथा जीवन यापन की बात हो, सभी के लिए अच्छे वनों का होना निर्विवाद रूप से आवश्यक है।

प्रकृति और मानव की इन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शासन ने वन संवर्द्धन तथा संरक्षण की पूरी व्यवस्था की है। आज जहां वैज्ञानिक ढंग से वनों की साज-संवार और रोपण आदि का कार्य हाथ में लिया गया है, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने राज्यों में ही समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है।

इस कार्य हेतु मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं, शिवपुरी का 'वन विद्यालय' उनमें से एक है।

शिवपुरी के सुन्दर वन, वहां का माधव राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्र का कत्था उद्योग, वन्य जीवन और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदियों के विशाल कछार, यहां वन विद्यालय की स्थापना के लिए एक सुरम्य वातावरण प्रस्तुत करते हैं।

क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यह विद्यालय यहां सिंधिया राज्य काल में 1946 में स्थापित हुआ था। उन दिनों इसे 'ग्वालियर फारेस्ट स्कूल' के नाम से जाना जाता था। उस समय यहां ग्वालियर रियासत के अलावा अजमेर, सौराष्ट्र, पालमपुर रियासतों के लिए भी उप-वन क्षेत्रपालों (डिप्टी रेंजरों) को प्रशिक्षित किया जाता था। बाद में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, अजमेर, राजस्थान तथा उड़ीसा तक के वन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए इस वन विद्यालय में भेजा जाने लगा।

तभी से इस विद्यालय में उप-वन क्षेत्रपालों (डिप्टी रेंजरों) के अतिरिक्त वनपाल (फारेस्टर) तथा वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) को भी प्रशिक्षित किया जाने लगा। स्थापना के प्रारम्भिक 10 वर्षों में ही करीब 1000 वन अधिकारियों और वनरक्षकों आदि को यहां प्रशिक्षित कर उन्हें वन संवर्द्धन तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तब मध्यभारत क्षेत्र की यह एकमात्र संस्था थी, जहां वन अधिकारियों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी।

वर्ष 1956 में नए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात कुछ वर्ष तो प्रशिक्षण का कार्य यहां पूर्ववत चलता रहा, परन्तु 1961 में नई नीति के अनुसार उप-वन क्षेत्रपालों का प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया और इसके बाद इस वन विद्यालय को पूर्णरूप से वनपालों और वनरक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्र बना दिया गया। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था आज भी वैसी ही चल रही है।

आवश्यकतानुसार इस संस्था में भू-मापकों (सर्वेयर्स) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। जहां वनपालों के प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होती है, वहीं वनरक्षकों और भू-मापकों के प्रशिक्षण की अवधि 6 मास होती है। वर्ष में 50 वनपाल तथा 100 वनरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

यूकीलिप्टस, शीशम एवं अन्य सघन वन्य वृक्षों से घिरे, माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित इस विद्यालय में वानिकी के पाठ्यक्रम के पाठन के अलावा प्रशिक्षणार्थियों के शारीरिक सौष्ठव की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। कवायद, खेलकूद तथा अनुशासन पर यहां विशेष बल दिया गया है। यहां के पाठ्यक्रम के तहत भी वनसुरक्षा, वन-प्रबन्ध, वनस्पति विज्ञान, वन-उपयोजन, वन-विधि, वनरोपण तथा वनसंवर्द्धन आदि विषयों का विशद ज्ञान कराया जाता है। वन्य प्राणियों और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है।

वन विद्यालय के वनपाल प्रशिक्षणार्थी अपनी प्रशिक्षण अवधि में लगभग 40 सप्ताह शिवपुरी में रहते हैं तथा शेष 12 सप्ताह मध्य प्रदेश के वनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनमण्डलों में प्रवास पर रहते हैं। इस प्रवास के समय इन्हें वानिकी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वे स्वतः वनों में जाकर वहां की कार्य प्रणाली देखते हैं तथा वैज्ञानिक ढंग से वन-प्रबन्ध का कार्य सीखते हैं।

वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों के प्रवास की अवधि 8 सप्ताह की होती है। प्रवास के समय इन्हें रोपणी विरलन, चिन्हांकन भूमापन, भूसंरक्षण, वनप्राणियों की देख-रेख आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे विद्यालय प्रांगण में भी वन रोपणी है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को वृक्षारोपण की शिक्षा दी जाती है। वन विद्यालय के पास अपना एक म्यूजियम भी है तथा अच्छा पुस्तकालय है। भवन में आडिटोरियम आदि की भी व्यवस्था है।

संस्था के संचालक पद पर एक वरिष्ठ अनुभवी तथा अध्यापन में कुशल वन-मंडलाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संचालक की सहायता और अध्यापन कार्य हेतु, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, क्यूरेटर, क्षेत्र सहायक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। अन्तरवासी प्रशिक्षणार्थियों के लिए होस्टल तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए

[शेष पृष्ठ 23 पर]

एकीकृत ग्राम विकास : कुछ सुझाव

बी० विजयलक्ष्मी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और ग्रामीणों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में इन्हें समन्वित रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया द्वारा आर्थिक विकास का लाभ गरीब वर्ग को मिले, जो हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत है। कुछ अध्ययनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनेक विकासशील प्रयासों के बावजूद ग्रामीण गरीबों का प्रतिशत बढ़ रहा है। समग्र राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर अपना योगदान देने वाले लोगों के साथ-साथ ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक नीतियों को अपनाना अब जरूरी है। मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने, उनकी आय को बढ़ाने, उनके जीवन स्तर को उन्नत करने और उनमें आत्म-निर्भरता को जगाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए।

हर एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे रोटी-कपड़ा और मकान, समुदाय मूलक सेवाओं जैसे पीने के पानी की सप्लाई, सफाई, चिकित्सा तथा शिक्षा, पारिस्थितिकी सन्तुलन को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण आदि भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कृषि, अकृषि तथा ग्रामीण औद्योगिक और सेवा संबंधी क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तृत परिवेश में स्व-रोजगार के साथ मजदूरी पर आधारित रोजगार को मिलाने की आवश्यकता है। 'काम के लिए अनाज' जैसी प्रायोजनाएं अल्पावधि रोजगार के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। उन्हें दीर्घकालिक रोजगार योजनाओं के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। निजी लागत को प्रोत्साहन देकर सिंचाई नालों को खोदना, भूमि विकास, भू-संरक्षण और सघन वन विकास जैसी योजनाओं के लिए इसे अनुकूल करके भी बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा की भावना पर भी ध्यान देना चाहिए। बूढ़े और अपंगों की सहायता करना, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षात्मक प्रबन्ध आदि ग्रामीण निर्माणात्मक कार्यों को संगठित करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है।

एकीकृत ग्राम विकास का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की आपसी असमानताओं को हटाकर ऐसे लोकतंत्रीय समाज की स्थापना करना है, जहां कृषि औद्योगिक समाज का परिवर्तन तथा विकास क्रमिक रूप में किया जा सके। एकीकृत ग्राम विकास केवल गरीबी से निचले स्तर के उपर्युक्त पात्रों को पहचानकर उन्हें आर्थिक सहायता देने तक ही सीमित नहीं है। सरकारी सहायता और स्थानीय साधनों के उत्तम उपयोग द्वारा गरीबी को दूर करने वाला यह एक विस्तृत कार्यक्रम है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपना कर ग्रामों की प्रगति के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की भी जरूरत है ताकि चुने हुए व्यवसायों में आर्थिक समता स्थापित हो जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निश्चित वृद्धि के लिए इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ढांचे के निर्माण की अपेक्षा है जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण, लक्ष्य, मौलिक आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले साधनों का आवंटन आदि सम्मिलित हैं। यह ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों में स्त्रियों को अधिक संख्या में सम्मिलित करने पर जोर देता है। साग-सब्जी उत्पादन, सिलाई और दस्तकारी जैसे धंधों को अपनाने वाले व्यक्तियों को पहचानना इसका काम है। भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों और ग्रामीण कारीगरों जैसे समूहों को यह मुख्य रूप से प्राथमिकता देता है। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को विभिन्न बैंकों से अथवा आसानी से कर्ज दिलाए जाने का प्रावधान है और शासकीय अनुदान भी दिया जा रहा है। अपनी रोजगार योजना में यह ऐसे कृषक मजदूरों की अधिक सहायता करता है जिनके पास भूमि या उपकरण कुछ भी नहीं है। योजना और क्रियान्वयन के वर्तमान तरीके, स्थानीय साधनों जैसे तालाब, नदी, बीज और जड़ी-बूटियों आदि को नहीं पहचान पा रहे हैं। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इन स्थानीय साधनों का पता लगाने और उन्हें और अधिकाधिक उपयोग में लाने के लिए एकीकृत ग्राम विकास प्रयत्न करता है। इस दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हैं। लक्ष्य समूहों और कर्मचारियों की निपुणताओं को अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पोषाहार, प्रौढ़शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आदि समाज विकास के अन्य तत्व भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं।

लेकिन समस्या यह है कि पहचाने हुए उपयुक्त पात्रों के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यक्रमों के अनुरूप बुनियादी व्यवस्था को कैसे बनाया जाए? फिलहाल एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। ये कठिनाइयां व्यापक खंड योजनाओं के द्वारा दूर की जा सकती हैं। खण्ड योजना लक्ष्य समूहों में से उपयुक्त पात्रों को पहचानने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं दिलाने की कोशिश करती है।

एकीकृत ग्राम विकास के क्रियान्वयन में वृद्धि केन्द्रों के दृष्टिकोण को सुविधाजनक रूप से अपनाया जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षों में खण्ड प्रशासन का एक अनिवार्य अंग था। खण्ड स्तर के कर्मचारियों के कार्यों पर खण्ड विकास अधिकारी का काफी नियंत्रण था। इसके द्वारा इसे बहुमुखी विकास कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायता मिलती थी। उसके बाद खण्ड विकास अधिकारी के अधिकार कम हो गए और अब वह एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असमर्थ है। अतः यह वांछनीय है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में ग्राम सेवकों और विस्तार अधिकारियों को नियुक्त कर खण्ड को सुदृढ़ बनाया जाए। ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में विस्तार अधिकारी के पद को बनाया जाए। खण्ड स्तर पर कर्मचारियों को अधिक निपुण बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है और जहां संभव हो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने लिए भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खंडों को चुनने के लिए भारत सरकार का मार्गदर्शन इस प्रकार है। किसी खंड को एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में शामिल करने के पहले इस खंड में रहने वाली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर भी वास्तविकता यह है कि हमेशा गरीब और पिछड़े हुए खंडों को चुनना संभव नहीं होगा। अतः इस दिशा में राज्य सरकारों को चाहिए कि वह उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएं ताकि जो खंड गरीब और पिछड़े हुए हैं वे इस कार्यक्रम में प्राथमिकता प्राप्त कर सकें।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर राजस्व कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता है। जहां कहीं संभव हो भूमि अभिलेखों और परिणाम पत्रकों आदि की जांच के लिए पटवारी, कानूनगो आदि की सेवाओं को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। राजस्व प्रशासन और विकास प्रशासन के बीच संबंधों को बढ़ाना भी जरूरी है।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों के भाग लेने की बड़ी गुंजाइश है। स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता की अपेक्षा अब कार्यक्रम योजना क्रियान्वयन और तकनीकी जानकारी के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

एकीकृत ग्राम विकास में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग है। क्रियान्वयन के लक्ष्य और उसकी पद्धतियों के संबंध में गलतफहमी कार्यक्रम के प्रभाव को कम करेगी। अतः योजना निर्माण और क्रियान्वयन में लगे हुए लोगों के लिए भी प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण का संबंध खेतों की वास्तविक परिस्थियों से हो और प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में खेतों के निरीक्षण को स्वीकार करें।

प्रत्येक राज्य में उपलब्ध साधनों और वहां की आवश्यकताओं के अनुसार लोगों की आवश्यताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त तकनीक का अविष्कार करना चाहिए। ग्रामीणों को तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य एजेंसियों के वैज्ञानिकों का योगदान अपेक्षित है। □

[पृष्ठ 21 का शेष]

शासकीय आवास की व्यवस्था भी विद्यालय परिसर में ही की गई है।

विद्यालय की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं जैसे यहां के सहवासियों तथा उनके बच्चों आदि को शिवपुरी नगर अपने कार्य या स्कूल-कालेज आदि के लिए पहुंचने हेतु वाहन व्यवस्था का न होना, चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान हेतु मध्य प्रदेश के वनों तक ही सीमित रखा जाना और दूसरे राज्यों में न भेजा जाना, अति प्रवीण प्रशिक्षणार्थियों को सीधे वन-क्षेत्रपाल (फारेस्ट रेंजर) की ट्रेनिंग के लिए देहरादून, कोयमुत्तूर या अन्य स्थानों पर भेजने का प्रावधान न होना आदि हैं।

संस्था के साथ जुड़ी इन कुछ समस्याओं को यदि स्वाभाविक मान भी लिया जाए तब भी यह तो कहा ही जा सकता है कि आज जब वनों, वन्य प्राणियों और वन्य उपजों का महत्व देश की पिछड़ी आबादी के लिए सबसे अधिक माना जा रहा है, तब उनके संरक्षण-संवर्द्धन के प्रहरी के रूप में कार्य करने वाले, घने से घने वनों के भीतर घुसकर एक-एक वृक्ष का हिसाब रखने वाले इन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाली इस संस्था को हर प्रकार से साधन-सम्पन्न बना कर उसे वन विज्ञान में प्रशिक्षण देने वाली देश की अन्य श्रेष्ठ संस्थाओं से किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहने देना चाहिए। □

तराई क्षेत्र के सफल कृषक

श्री अनिरुद्ध सिंह

जगदीश नारायण मेहरोत्रा

नैनीताल जनपद का तराई-भाबर क्षेत्र काफी विशाल तथा जंगल, बीहड़ एवं विकसित कृषि का मिला-जुला स्वरूप है। यहां पर खेतीबाड़ी की शुरुआत 1950 में हुई जबकि अनेक जंगलों को काटकर भूमि का आबंटन शरणार्थियों तथा इच्छुक व्यक्तियों में किया गया। उस समय केवल भूमि को समतल करके इन लोगों को कृषि कार्यों के लिए दिया गया। बाद में सिंचाई साधन बढ़े, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पद्धतियों का फैलाव हुआ और पुरुषार्थी कृषकों ने अपनी भूमि को शस्य-श्यामला बना दिया। आज तराई-भाबर क्षेत्र में कृषि इतनी विकसित हो गई है कि वह अन्य क्षेत्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र में अनेक प्रगतिशील कृषक हैं और कृषि कार्यों से इतने सम्पन्न हैं कि उनके वैभवपूर्ण जीवन से लोग वैज्ञानिक कृषि को सम्पन्नता का आधार मानने लगे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील कृषकों में से श्री अनिरुद्ध सिंह हैं, जो हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा ग्राम में खेती करते हैं।

श्री अनिरुद्ध सिंह को कोई मलाल नहीं है कि 1955 में अच्छे नम्बरों से वकालत पास करने के बाद उन्होंने इस व्यवसाय को न अपनाकर अपने पुश्तैनी धंधे कृषि को अपनाया और आज किसी भी सफल वकील से अपने को कम सम्पन्न और सुखी नहीं समझते। उन्होंने सोचा कि गांव से निकलकर यदि शहर में वकालत करने चले गए तो पिता से प्राप्त 9 एकड़ जमीन कहीं मिट्टी के मोल न चली जाए। अस्तु सन 1957 में श्री सिंह कृषि कार्यों में जुट गए और कृषि की नवीनतम जानकारी के पठन-पाठन और व्यावहारिक कार्यान्वयन से इतने सफल कृषक हैं कि नैनीताल के तराई-भाबर क्षेत्र में लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

49 वर्षीय श्री सिंह से जब मैं कुछ दिन पूर्व मिला तो वह अपने सोयाबीन के खेत में फलियों को देख रहे थे। तत्काल आकर अभिवादन किया और आने का कारण पूछा।

"आपके कृषि ज्ञान की काफी चर्चा सुनी थी। इधर आया था, सोचा आपसे मिलूं, इस लिए आपकी खेतीबाड़ी देखने और आपके विचार जानने के लिए चला आया हूं।" मेरा सहज उत्तर था। श्री सिंह ने पहले अपनी बागवानी के करिश्मे दिखाए—3 फुट लम्बी तोरई, डेढ़ फुट के खीरे, भारी-भरकम लौकी, पूसा भिंडी, बैंगन, हल्दी, मिर्च, अदरक और भांति-भांति के फूलों तथा गुलाब की छटा से युक्त क्यारियां। मन मुग्ध हो गया।

हल्द्वानी (जिला नैनीताल) से पांच किलोमीटर दूर कुसुमखेड़ा छोटा सा गांव है। यहां लगभग 40 कृषक परिवार हैं। भाबर का इलाका और सामने हिमालय की पर्वत श्रेणी प्राकृतिक छटा का मन-मोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। लखनऊ की भीड़-भड़क्कम की जिन्दगी से कितनी अलग। सड़क के बाईं ओर बहती माइनर से दो फर्लांग पर अनिरुद्ध सिंह का फार्म है। उन्होंने अपना पूरा फार्म दिखाया तथा प्रत्येक फसल की विशेषता और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास की चर्चा की। कृषि के संबंध में उनका ज्ञान बड़े-बड़े कृषि विशेषज्ञों से चुनौती लेने में समर्थ है, यह एक घंटे की बातचीत से मुझे मालूम हो गया। उन्होंने कृषि का ज्ञान न केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं से अर्जित किया वरन स्वयं खेती करके अपने व्यावहारिक अनुभवों से उसे इतना परिपक्व कर दिया कि कोई भी कृषि विशेषज्ञ उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता।

खेती में कई उतार-चढ़ाव भी आए, हानि भी उठाई, पर मैदान नहीं छोड़ा। अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर रूपसिंह का नाम उजागर करने वाले सफल और प्रगतिशील कृषक अनिरुद्ध सिंह को इस बात का मान है कि उन्होंने स्वयं वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का मार्ग इस क्षेत्र में प्रशस्त किया।

"सिंह जी, मैं आपकी सोयाबीन की कृषि देखने विशेष रूप से आया हूं। इसके बारे में लोग कहते हैं कि आपने तराई-भाबर इलाके में सोने सोयाबीन को उगा दिया है। कितने एकड़ में आपने सोयाबीन लगाई है।"

"इस बार 4 एकड़ में सोयाबीन बोई है। बाकी में धान, मक्का, तरकारियां और फल आदि हैं।"

"आपकी सोयाबीन की फसल इतनी बढ़िया है कि देखकर तबीयत प्रसन्न हो गई। आपने क्या कृषि क्रिया अपनाई, कुछ प्रकाश डालेंगे।" मैंने पूछा।

श्री सिंह ने कहा, "इस बार अलंकार जाति बोई है जिसका बीज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से लाए थे। पहले ब्रैग बोते थे परन्तु उसमें पौधों पर पीलापन की बीमारी (मोजेक) आ जाती थी। इसलिए 30 जून को अलंकार जाति की बुआई की। आप देखें कि पौधे रोगरहित हैं और किस हरियाली से फूले हुए हैं।

"सोयाबीन की खेती आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या इसमें कोई विशेष लाभ है।" मेरा प्रश्न था।

"करीब 8-9 साल से मैं सोयाबीन पैदा करता हूं। इसकी खेती में विशेष बात बात यह है कि इसके बाद खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और गेहूं की पैदावार 3-4

[शेष पृष्ठ 26 पर]

पहला सुख निरोगी काया

योग और स्वास्थ्य

वन्दना झिंगन

आज के इस मशीनी युग में लगभग 90 प्रतिशत लोग रोगों से घिरे हुए हैं। औषधों विशेषकर एलोपैथिक औषधों के प्रयोग के आधिक्य से कितनी ही बीमारियां ठीक होने के बजाय बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां भी हैं, जिनका प्रभावी इलाज सिर्फ योग द्वारा संभव है। वास्तव में योग विश्व को भारत की अमूल्य देन है। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह विद्या लुप्त होने लगी और इसके प्रति उदासीनता बहुत बढ़ गई। यह हर्ष का विषय है कि अब इधर कुछेक वर्षों से कुछ महापुरुषों के सतत सद्प्रयासों से इसका प्रचलन बढ़ रहा है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि विश्व के अनेक देशों में इसका प्रचलन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सरकार का देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों में योग को एक पाठयक्रम के रूप में लागू करने का निर्णय भी निश्चय ही स्वागत योग्य है।

आम लोगों की धारणा है कि योग का अर्थ केवल आसन है, लेकिन यह ठीक नहीं है। वस्तुत: योग तो दो चीजों के मेल को कहते हैं। प्राण और अपान वायु के मिलाने को योग कहते हैं। रज और वीर्य के मिलाने को योग कहते है। इड़ा अर्थात चन्द्र अर्थात बायां स्वर और पिंगला अर्थात सूर्य अर्थात दायां स्वर के मिलाने को योग कहते हैं। जीव जब परमात्मा में मिलता है अर्थात आत्मा को परमात्मा में मिलाने को योग कहते हैं।

आसन तो योग के प्रचलित आठ अंगों में से एक अंग है। योग के प्रमुख आठ अंग निम्न प्रकार हैं :—

यम : यह मानव के आन्तरिक व्यवहार से संबंधित नियंत्रण और अनुशासन है।

नियम : इसके अन्तर्गत मनुष्य को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, संतोष, संयम, चोरी न करना, लोभ से बचना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर में निष्ठा आदि आचरण यम-नियम के अन्तर्गत आते हैं।

आसन : शरीर से विभिन्न मुद्राएं बनाना आसन है। शास्त्रों में इनकी संख्या 84 लाख बताई गई है। इनमें से प्रमुख 32 आसन हैं।

प्राणायाम : अपने श्वास को नियन्त्रण में करके रोकना ही प्राणायाम कहलाता है।

प्रत्याहार : चंचल इन्द्रियों को वश में करना प्रत्याहार कहलाता है।

धारणा : किसी भी कार्य को करने के लिए मन में प्रण करना, अपने मन को दृढ़ रखना और संकल्प से विचलित न होना धारणा है।

ध्यान : किसी भी व्यक्ति, वस्तु या इष्टदेव का ध्यान करके मन को स्थिर रखने का प्रयास करना ध्यान है।

समाधि : प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था ही समाधि कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। सर्वविकल्प समाधि इच्छा सहित होती है और निर्विकल्प समाधि इच्छा रहित होती है।

योग के अभ्यास से कच्चे घड़े के समान शरीर को पका कर पक्के घड़े के समान किया जाता है।

यहां हम योग के सर्वाधिक प्रचलित अंग आसन की चर्चा करेंगे।

अपने शरीर द्वारा विभिन्न मुद्राएं बनाना ही आसन कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार आसनों के जन्मदाता और पूरे 84 लाख आसनों के ज्ञाता केवल शंकर भगवान थे। अत: सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि योग विद्या सनातन काल से चली आ रही विद्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनि प्राय: जिन मुद्राओं में बैठा करते थे, उन्हीं के नाम पर आसनों के नाम पड़ गए या फिर पशु-पक्षियों के नाम पर आसनों के नाम रख दिए गए थे। योग विद्या का भारत में फिर से प्रचलन बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि लोगों ने भौतिकतावादी पश्चिमी सभ्यता को अपना कर भी देख लिया है कि उन्हें वहां सुख मिलने के बजाय दुख की प्राप्ति हुई है। इसलिए वे योग के द्वारा फिर से शारीरिक और मानसिक सुख की उपलब्धि चाहते हैं।

प्रत्येक मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि यह शरीर जो ईश्वर की देन है, उसे स्वस्थ, सुंदर और सुडौल रखने का प्रयास करे। योगासन के अभ्यास से ही ऐसा कर पाना संभव है। योगासन के नित्य अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन की समस्त चंचलता दूर होती है, शरीर हल्का बनता है, मन प्रसन्न रहता है और शारीरिक विकार दूर होते हैं। योगासन के अभ्यास से मनुष्य को मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार का सुख मिलता है।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए वहां के देशवासियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। देशवासियों से हमारा अभिप्राय शहरी जनता से ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भाई-बहनों से भी है क्योंकि हमारी अधिकांश जन-संख्या गांवों में बसती है। अन्य किसी भी पद्धति या प्रणाली से इलाज करवाने पर हमें

पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं। पैसे के अलावा एलोपैथिक दवाओं से कई बार नुकसान भी हो जाता है।

योगाभ्यास के द्वारा हम बिना कुछ खर्च किए अपने शरीर को पूर्णत: स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अभ्यास द्वारा व्यक्ति कभी कुछ नहीं खोता। अगर शुरू से ही इसका अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति को बड़े होने पर किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। योगाभ्यास से बच्चों, युवकों-बूढ़ों सभी आयु वर्ग के स्त्री-पुरुषों को लाभ होता है। आसन का अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी हैं।

1. आसन करने से पहले शौचादि से निवृत्त हो जाना चाहिए।
2. आसन सायंकाल में भी किए जा सकते हैं लेकिन इससे पहले 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए।
3. आसन के अभ्यास से पहले स्नान किया जा सकता है, लेकिन बाद में कम से कम डेढ़-दो घंटे बाद नहाना चाहिए।
4. आसन खुली हवा में किए जाएं तो ज्यादा लाभप्रद होते हैं। अगर अन्दर कमरे में कर रहे हैं तो पंखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
5. आसन करने के एक दम बाद ठंडी वस्तु को नहीं खाना चाहिए। 10 मिनट बाद गर्म दूध पी सकते हैं। आसन करने से पहले भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए।

अगर बताई हुई सावधानियों को ध्यान में रखा जाए और आसनों का अभ्यास सही तरीके से किया जाए तो बिना कुछ खर्चा किए बड़े से बड़े रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। □

(पृष्ठ 24 का शेष)

क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाती है। सोयाबीन की पैदावार भी 6-10 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है।"

"सोयाबीन की सफल कृषि के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं", मैंने पूछा।

"सोयाबीन की खेती में बीज का शोधन जरूर करना चाहिए। कैप्टान या थिरम की 4 ग्राम दवा एक किलो बीज के लिए पर्याप्त है। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद मैंने पंक्ति से पंक्ति डेढ़ फुट और बीज से बीज 2 इंच के फासले पर बुआई की। बुआई ज्यादा गहरी न करके केवल डेढ़-दो इंच ही रखी। खेत की तैयारी के समय 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटाश दिया। बीज की मात्रा लगभग 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई और मौसम भी अनुकूल रहा। आप स्वयं देखें कि इस समय फसल लगभग एक मीटर ऊंची है। मुझे उम्मीद है कि इस बार सबसे अच्छी फसल होगी।"

"सोयाबीन की बिक्री का प्रबन्ध है", मैंने जानकारी के उद्देश्य से पूछा।

"बिक्री के मामले में पहले कुछ कठिनाई थी, लेकिन अब हम लोगों की पूरी उपज व्यापारी खरीद लेते हैं। कभी 170 रु० फी क्विंटल मिल गया तो कभी अधिक। अब शासन ने पीली सोयाबीन का समर्थन मूल्य 198 रु० प्रति क्विंटल घोषित किया है, इसलिए यह आशा है कि इस बार अच्छे दाम मिलेंगे।"

"तराई-भाबर क्षेत्र में सोयाबीन की कृषि का क्या भविष्य है ?" मैंने पूछा।

"बहुत ही अच्छा। मेरे देखते-देखते आज करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इस जनपद के भाबर और तराई इलाके में अच्छे किस्म की सोयाबीन पैदा की जा रही है। वैसे पर्वतीय भू-भागों में यह अलग-अलग नाम से जैसे भट, भटमास, रामकुल्थी के नाम से जानी और बोयी जाती है। इनका दाना कुछ काला होता है और इधर जो नई किस्म चली है, वह हल्की पीली होती है। चूंकि सोयाबीन बहुत ही पौष्टिक है इसलिए निश्चित ही इसकी मांग बढ़ेगी। बरेली में एक छोटी फैक्टरी कार्यरत है जहां सोयाबीन, सोयाफ्लेक्स, सोयादाल, सोयादूध, सोयाबरी आदि निर्मित किए जा रहे हैं। आपको भी मेरा सुझाव है कि अपने दैनिक खानपान में सोयाबीन का कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य करें। सबसे सरल उपाय यही है कि 10 किलोग्राम गेहूं में एक किलोग्राम सोयाबीन मिलाकर उसका आटा पिसा लें। दूनी पौष्टिकता हो जाएगी और रोटी इतनी मुलायम कि आप फिर इसको त्याग न सकेंगे।"

हम लोगों की वार्ता चल ही रही थी कि श्री सिंह के परिवार के एक सदस्य ने जलपान की ओर संकेत किया। अपने फार्म पर ही आधुनिक ढंग से बने हुए बंगले में श्री सिंह परिवार सहित रहते हैं। बंगले का बाहरी भाग विभिन्न लताओं और फूलदार बेलों से आच्छादित था। 'जंगल में मंगल' की कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही थी। इस प्राकृतिक छटा में सोयाबीन के तरह-तरह के व्यंजन जब काफी आत्मसात कर गया, तो मुझे ऐसा लगा कि शहर की जिन्दगी इसके आगे कितनी फीकी है।

सोयाबीन की सफल कृषि के लिए जहां अनेक कृषि विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं वहां श्री अनिरुद्ध सिंह का अदम्य उत्साह और वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य उनकी कृषि लगन का जीता-जागता प्रमाण है। वस्तुत: उन्होंने सोयाबीन को जगाया और इस नाते प्रशंसा के पात्र हैं। □

केन्द्र के समाचार

सभी गांवों को पीने का पानी

देश के सभी समस्याग्रस्त गांवों को छठी योजना के अन्त तक यानी 1985 तक पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का यह लक्ष्य है कि ऐसे प्रत्येक गांव में पूरे वर्ष पीने के पानी का कम से कम एक संसाधन अवश्य रहे। इस परियोजना में कम लागत के कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक गांवों को पानी दिया जाएगा और इसके रख-रखाव के लिए स्थानीय स्तर पर सामान्य व्यवस्था की जाएगी। इस काम पर लगभग 2,000 करोड़ रु० खर्च आने का अनुमान है।

समस्याग्रस्त गांवों की कोटि में वे गांव आते है जहां पीने का पानी 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है या 15 मी० से अधिक गहराई पर है अथवा जहां के पानी से हैजा या प्रदूषण फैलता हो या जहां के पानी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खारापन या लोहा, फ्लोराइड या दूसरे विषैले तत्वों की अधिकता हो।

पीने का पानी सप्लाई करने की औसतन लागत कर्नाटक में प्रति व्यक्ति 56 रुपये और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में 900 रुपये आएगी। प्रति गांव एक लाख रुपये खर्च होंगे। औसत खर्च के हिसाब से पूरी योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल राशि 65 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर दी जाएगी। इस अतिरिक्त 35 करोड़ रु० में से 15 करोड़ रु० पहले ही खुदाई के उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। ये उपकरण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुओं की खुदाई के लिए राज्य सरकारों को सप्लाई किए जाएंगे। बाकी 20 करोड़ रु० 30,000 से 40,000 अतिरिक्त समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी सप्लाई करने में खर्च किए जाएंगे।

जल वितरण और स्वास्थ्य रक्षा

संयुक्त राष्ट्र संघ 1981–90 दशक को अन्तर्राष्ट्रीय जल वितरण और स्वास्थ्य रक्षा दशक घोषित कर चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना के अनुरूप, देश में सभी लोगों को न्यूनतम जल सप्लाई और स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से बहुत से सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों ने भी हिस्सा लिया।

यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से शत प्रतिशत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करेगी।

80 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के लिए मल निकासी नालियों और इन नालियों से जुड़े स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करेगी। साथ ही 25 प्रतिशत या इससे अधिक ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वच्छ शौचालयों का बंदोबस्त करेगी। इन सब कार्यों के लिए अनुमानत: 15,000 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी।

हरिजन बस्तियों को बिजली

1971 में हुई एक समीक्षा से यह विदित हुआ कि ऐसे गांवों को, जहां पहले से ही बिजली दी जा चुकी थी, हरिजन बस्तियों को बिजली नहीं मिली थी। इस स्थिति पर दिल्ली में मई 1971 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। उस समय यह निश्चय किया गया था कि जिन गांवों में बिजली दी जा चुकी थी वहां हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों की बस्तियों की गलियों में बिजली लगाई जाए तथा भविष्य में सभी ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं में मुख्य गांवों के साथ हरिजन बस्तियों में भी बिजली का प्रबन्ध किया जाए। 1975 की समीक्षा से पता चला कि बिजली बोर्डों ने इस निर्णय पर पूरी तरह अमल किया था। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बोर्डों को यह भी हिदायत दी थी कि मुख्य गांवों में दिन प्रति दिन के लिए बिजली दिए जाने के प्रस्तावों में हरिजन-बस्तियों को भी शामिल किया जाए। बिजली बोर्डों ने हिदायतों के अनुसार कार्य किया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले से ही बिजली प्राप्त गांवों से सटी हरिजन बस्तियों को बिजली प्रदान करने के लिए अलग से 4.5 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस विशेष योजना के तहत 9,073 हरिजन बस्तियों को बिजली दी गई थी।

अभी तक कुछेक हजार बस्तियां ऐसी हैं जो बिजली प्राप्त गांवों से जुड़ी होने के बावजूद भी बिजली की सुविधाओं से वंचित है। ग्राम विद्युतीकरण निगम को निर्देश दिया गया था कि वह अपने सामान्य कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कोष में से शेष हरिजन बस्तियों को बिजली प्रदान करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को आवश्यक वित्तीय सहायता दे। निगम ने 3.95 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देकर पहले से ही बिजली की सुविधा प्राप्त गांवों से सटी 4,504 हरिजन बस्तियों को बिजली देने के लिए 102 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है निगम ने बिजली बोर्डों को इस कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ रुपये दिए है। इन परियोनाओं के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व राज्य बिजली बोर्डों पर है।

लद्दाख का गांव बिजली से जगमगा उठा

भारत की पहली सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणाली को लद्दाख के एक दूर-दराज के गांव छोगलम्सर में स्थापित किया गया है। तिब्बती शरणार्थियों और अनाथ बच्चों में "बाल" गांव के नाम से विख्यात यह विश्व का ऐसा दूसरा गांव है जहां बिजली के विभिन्न यंत्रों और उपकरणों को सौर-ऊर्जा द्वारा प्राप्त बिजली से चलाए जाने की व्यवस्था है। इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला गांव संयुक्त राज्य अमेरिका के एरी-जोना जिले में है।

लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह विद्युत प्रणाली लगभग एक लाख पचास हजार रु० की लागत से स्थापित की गई है।

इसका डिजाइन और विकास सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस प्रणाली द्वारा 20 बिस्तरों वाले एक अस्पताल और एक बड़े रसोईघर को बिजली प्रदान करने की व्यवस्था है। दोनों ही स्थानों पर रोशनी के लिए ट्यूब लगी है। यह प्रणाली अति सुचारु रूप से कार्य कर रही है तथा अस्पताल और रसोईघर को दिन-रात बिजली सप्लाई कर रही है।

80 लाख रुपये के ऋण वितरित

लघु कृषक विकास अभिकरण, बिलासपुर ने चालू वित्त वर्ष में सितम्बर, 1980 तक कुल 21,062 व्यक्तियों को 80 लाख से अधिक रुपये की राशि ऋणों के रूप में उपलब्ध कराई। अभिकरण द्वारा उक्त ऋण एकीकृत ग्रामीण विकास तथा लघु कृषक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरित किए गए।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से 13,458 व्यक्तियों को 54.52 लाख रुपये के दीर्घावधि एवं मध्यावधि के ऋण वितरित किए गए।

अभिकरण की लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से कुल 7,604 व्यक्तियों को 25.72 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए।

अभिकरण द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 व्यक्तियों को प्रशिक्षित तथा लघु कृषक विकास योजना के तहत 2008 को पंजीकृत किया गया।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक योजना है, जो जनवरी, 1976 में शुरू हुई थी। इसमें ग्रामीण उपभोक्ता कार्यक्रम का विकास परियोजना आधार पर करने की परिकल्पना की गई है और प्रत्येक परियोजना में 10-15 ग्राम समितियां शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आपूर्ति के प्रयोजन के लिए प्राथमिक विपणन समिति, थोक उपभोक्ता भंडार अथवा राज्य सहकारी विपणन उपभोक्ता संघ की शाखा से सम्बद्ध किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना के द्वितीय स्तर पर प्रमुख और ग्राम समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के आरम्भ किए जाने से लेकर निगम ने 31 मार्च, 1980 तक 20 राज्यों में 2576 लाख रुपये की सहायता मंजूर की है, जिसमें से 800 लाख रुपये 1979-80 के दौरान दिए गए। ग्रामीण उपभोक्ता कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 900 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत ग्राम समितियों के लिए 475 लाख रुपये की सहायता शामिल है।

खाद्य क्षेत्र में सफलता

कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है और देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या इस पर निर्भर है।

अनाज के मामले में देश न केवल आत्मनिर्भर ही हुआ है अपितु यहां से अनाज का निर्यात भी किया जाने लगा है। भारत ने 1979 के दौरान सोवियत संघ, वियतनाम और मारिशस को संतुलित व्यापार वायदे के अनुसार गेहूं/गेहूं का आटा एवं चावल सप्लाई किया।

अनाज का उत्पादन गत तीस वर्षों के दौरान दुगने से ज्यादा हो गया है। आशा है कि इस वर्ष 13.5 करोड़ टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन होगा। गेहूं के उत्पादन में 1965-66 से लेकर अब तक तीन गुना वृद्धि हुई है और चावल के उत्पादन में 76 प्रतिशत से से अधिक की वृद्धि हुई है।

नवम्बर, 1979 तक एक करोड़ टन से अधिक का अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया गया था। जबकि 1978 के दौरान इसी अवधि में 94 लाख टन अनाज वितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान 17 लाख टन अनाज काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अनाज

केन्द्र द्वारा आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्यों को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 58,000 टन अतिरिक्त अनाज आवंटित किया गया है। इसमें से 42,000 टन अनाज आंध्र प्रदेश को 3,500 टन हरियाणा को और 12,500 टन गुजरात को दिया जाएगा। यह आवंटन उस चार लाख टन अनाज में से किया गया है जो विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्तियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक साज-सामान के लिए 7.39 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। हरियाणा और गुजरात राज्यों को भी इसी कार्य के लिए क्रमशः 56.50 लाख और 2.18 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

यूनानी जड़ी-बूटियों की खेती

यूनानी जड़ी-बूटियों की खेती करने में उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिए हैं। इस वर्ष जुलाई के मध्य में अलीगढ़ स्थित जड़ी-बूटी सर्वेक्षण एकक के बाग में गुलनार फारसी के जिन 40 पौधों की पौध लगाई गई थी, उनका प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। इस वर्ष सितम्बर के शुरू में इन पौधों पर फूल आने लगे।

गुलनार फारसी एक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसे बच्चों को होने वाली अतिसार, दस्त और वार नामक बीमारियों के उपचार के लिए, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। घाव को जल्द सुखाने, भरने व रक्त को बाहर निकलने से रोकने में इसका इस्तेमाल काफी प्रभावकारी है।

गुलनार फारसी का मरहम घावों को भरने में लाभप्रद है। यह मसूढ़ों और दांतों को सुदृढ़ करती है और इसका उपयोग हर्निया के उपचार के लिए भी किया जाता है।

इस जड़ी-बूटी के महत्व, इसकी बढ़ती हुई मांग और उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद ने अपनी विभिन्न प्रयोगशाला अनुसंधान इकाइयों में गुलनार फारसी के प्रयोग के लिए इसकी खेती करने का निर्णय किया है।

गुलनार फारसी का मूल स्रोत ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान (पाकिस्तान) है। हिमालय की गर्म घाटियों और बाहरी पहाड़ियों में बने रूप में उगी हुई है। ☐

ट्रांसफर आर्डर

मोईन एजाज़

दिल्ली जैसे सुन्दर शहर में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। अतीत से मनुष्य को कितना प्यार होता है, यह बात उसकी समझ में अब आई थी। समय आता है और हवा के झोंके के समान चला जाता है, लेकिन अपने पीछे कुछ यादें छोड़ जाता है जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। अपने शहर में वह मामूली सी नौकरी करता था। पैसे कम मिलते थे, लेकिन इज्जत बहुत थी। वह सन्तुष्ट था। कई सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाएं उसी के दम से चल रही थीं। छोटे-बड़े हर तरह के लोगों से उसका सम्पर्क था। लेकिन उसके घर की आर्थिक दशा अब बिगड़ रही थी। वह सबसे बड़ा लड़का था। इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं। भला उनसे वह कैसे छुटकारा पा सकता था।

आखिर तंग आकर उसने इधर-उधर हाथ-पांव मारने शुरू किए। आखिरकार केन्द्रीय सरकार में उसे एक जगह नौकरी मिल ही गई। उसकी नियुक्ति दिल्ली में हुई, लेकिन अपना शहर छोड़ने के लिए वह बिल्कुल तैयार न था। घरवालों और कुछ मित्रों के आग्रह पर उसे दिल्ली आना पड़ा। कुछ लोगों ने समझाया कि कुछ दिनों बाद ट्रांसफर करा लेना। यह बात उसकी समझ में आ गई।

भारी दिल के साथ वह अपना शहर छोड़ रहा था। बचपन से जवानी तक जिन गलियों में उसका उठना-बैठना और चलना-फिरना था, वे उसके हाथों से निकली जा रही थीं। इन गलियों में न जाने कितनी शरारतें और कहानियां छिपी थीं और ये ही कहानियां उसे बीते दिनों की याद दिला रही थीं। उसने दिल्ली आते समय बहुत कम ही लोगों को बताया था कि वह नौकरी करने जा रहा है; वर्ना उसके मित्रों और शुभचिन्तकों की भीड़ लग जाती और वह क्षण उसके लिए बड़ा कष्टदायक होता।

उस दिन स्टेशन पर केवल वन्दना गांगुली और उसका भाई आया था। गांगुली परिवार से वह कोई बात नहीं छिपाता था। वन्दना उसकी बड़ी प्रशंसक थी। उसे भाई से भी अधिक प्रेम और सम्मान देती थी। उसने भी वन्दना के लिए बड़ी दौड़-धूप की थी, तब कहीं जाकर उसका दाखिला मेडिकल कालेज में हुआ था। तभी से वन्दना उसे देवता के समान पूजती थी।

गाड़ी छूटने वाली थी। वन्दना ने कहा, मानिक दा! तुम तो जा रहे हो। पर यहां का बहुत-सा काम अधूरा रह जाएगा। यह सुन कर वह तड़प उठा था। उसे कितना सुख और शान्ति मिलती थी दूसरों के काम करके। वह किसी धर्म विशेष को नहीं मानता था। मनुष्य की सेवा ही उसका धर्म था। वह ये सारी चीजें छोड़कर अपने आप को बहुत बड़ा दोषी समझ रहा था।

गाड़ी चल पड़ी। बड़ी देर तक उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, जैसे वह अपना शहर छोड़कर न जा रहा हो, बल्कि अपने किसी सगे-सम्बन्धी का अन्तिम संस्कार करके आ रहा हो।

दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या घर मिलने की होती है। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति ने उसे अपने क्वार्टर में एक कमरा किराये पर दिया। खैर सिर छिपाने की जगह तो मिल गई।

कालोनियों की जिन्दगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहां तो कोई किसी को नहीं जानता। इन कालोनियों में अधिकतर पढ़े-लिखे लोग रहते हैं। इनसे अच्छे तो गांव के अनपढ़ होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं और उनके दुख-सुख में सहारा देते हैं। उसे एक शायर का शेर रह-रह कर याद आता था :—

कहां गए वह नगर कुशादा
खुली छतें और घर कुशादा।

वह अपने आपको इस शहर के सांचे में न ढाल सका। बस एक 'अजनबी' के समान रहता था। उसे महादेवी वर्मा की एक बात याद आती थी कि यदि किसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाना चाहते हो तो उसकी जगह शुरू ही में बदल दो, वर्ना जब पेड़ बड़ा हो जाता है और उसकी जड़ें चारों ओर फैल जाती हैं तो फिर उसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना मुश्किल हो जाता है। वह कोशिश करता रहा कि यहां उसका दिल लग जाए।

कहते हैं कि समय स्वयं मरहम बन कर घाव को भर देता है। पर कुछ घाव ऐसे भी होते हैं, जो अच्छे तो हो जाते हैं, लेकिन उनके निशान इतने गहरे होते हैं कि कभी नहीं मिटते। उसने सुना कि वन्दना की शादी हो गई। शादी का कार्ड उसे भी मिला था, पर वह न जा सका था। नई-नई नौकरी जो थी उसे छुट्टी नहीं मिली। उसका जी लोट-पोट कर रह गया। वन्दना भी इस अवसर पर बहुत दुखी हुई होगी।

कुछ दिनों बाद उसने अपने ट्रांसफर के लिए दौड़-धूप शुरू कर दी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी।

उसके दफ्तर में एक स्टेनो थी। वह उसके विचारों से बड़ी प्रभावित थी। पर उसकी एक ही बात उसे पसन्द नहीं थी कि वह हर दम अपने शहर की रट क्यों लगाता रहता है। आफिस में केवल वही एक लड़की थी, जिससे मानिक कभी-कभी अपनी बातें कहता था। वह भी उससे हर तरह की बातें कर लेती थी।

एक दिन उसने पूछा, "मानिक जी, एक निजी बात कहूं। क्या आप दिलचस्पी लेंगे ?"

उसने मुस्कराते हुए कहा, "क्यों नहीं।"

उसने शरमाते हुए कहा, आप से मैं अपनी बातें नहीं छिपाती।"

"तो कहो, । यदि मुझ पर विश्वास हो तो अवश्य कहो।"

"मैं एक लड़के से प्यार करती हूं लेकिन नहीं मालूम उसके क्या विचार हैं ?"

"तो तुम उस से पूछ क्यों नहीं लेतीं ?"

"हिम्मत नहीं पड़ती। न जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया हो ?"

"तो लिख कर पूछ लो या किसी और का सहारा लो और उस से पूछवा लो ?"

"एक आपत्ति और है।"

"वह क्या ?"

"वह मेरे धर्म का नहीं है ? उस की भाषा भी कुछ और है।"

"यह तुम्हारा पागलपन है। इस प्रकार की बातें वे लोग करते हैं, जिनका दिल-दिमाग बीमार होता है। केवल यह देखो कि वह तुम्हें चाहता है या नहीं ? तुम भी अपने दिल को टटोल कर देखो, कहीं तुम्हारी धार्मिक भावनाएं तुम्हारे दिल पर पहरा तो नहीं बिठा रही हैं ? धर्म तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। समय गुजर जाने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। फिर नई परिस्थितियां नई चुनौती लेकर सामने आती हैं। जो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता, वह पीछे रह जाता है। फिर धर्म किसी की निजी बातों पर कदम-कदम पर पहरे नहीं बिठाता। ये सब गलत धारणाएं हैं।

मानिक से ये सब बातें सुन कर वह और भी ज्यादा प्रभावित हुई। उसके चेहरे पर एक प्रकार की चमक आ गई थी।

"लेकिन आखिर वह है कौन ? कहां रहता है ? क्या करता है ? उससे तुम्हारी कहां मुलाकात हुई ?" मानिक ने अचानक पूछा।

"समय आने दीजिए, बता दूंगी।" उसने शरमाते हुए जवाब दिया था।

बात आई गई हो गई। मानिक ट्रांसफर के लिए दौड़-धूप करता रहा। और आखिर उसे सफलता मिल ही गई।

आज वह आखिरी दिन आफिस गया था। आज उसे दफ्तर से रिलीव किया जाने वाला था। उसने अन्त में स्टेनो से भी मुलाकात की थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह उसके ट्रांसफर से नाराज है।

मानिक ने खुद ही खामोशी तोड़ी, "एक बात कहूं ?"

"हां, कहिए।" उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। "तुम्हारी उंगलियां बड़ी सुन्दर हैं ?"

"तो फिर..."

"तो फिर तो फिर... इतने दिनों तक खामोश क्यों थे ?" उसने बड़ी बेचैनी से कहा।

इस बेचैनी और बेबसी भरे स्वर ने मानों रहस्योद्घाटन कर दिया। मानिक ने महसूस किया मानों बिजली का करंट उसके सारे शरीर में दौड़ गया हो। कभी वह उसकी ओर देखता और कभी ट्रांसफर आर्डर की ओर। □

[पृष्ठ 3 का शेष]

रंजन के साधन उपलब्ध होने से लोगों का ध्यान बंटता है और परोक्ष रूप से यह परिवार नियोजन में सहायक होता है। इसके अलावा गांवों में घर में बिजली होना प्रतिष्ठा सूचक भी समझा जाता है।

सब गांवों को बिजली

स्पष्ट है कि बिजली की ग्राम विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चालू वर्ष के वित्त बजट में गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए 2 अरब 85 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। यह रकम बिजली विकास के चालू साल के कुल बजट की निर्धारित राशि के लगभग दसवें हिस्से के बराबर है। चालू वर्ष के दौरान देश के 25 हजार और गांवों को बिजली देने और 4 लाख सिंचाई के पम्प सेटों को ऊर्जायित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1978-83 की अवधि में करीब साढ़े 17 अरब रुपये गांवों को बिजली पहुंचाने पर खर्च किए जाएंगे जिनसे एक लाख और गांवों को बिजली मिलेगी और 20 लाख सिंचाई के पम्प सेट बिजली से चलने लगेंगे। अगर साधन उपलब्ध हुए तो 1995 तक देश के सभी गांवों को बिजली पहुंचा देने का लक्ष्य रखा गया है। आशा की जाती है कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों को भी जल्दी ही बिजली के लाभ मिलने लगेंगे जिससे वे भी समृद्धि और विकास के पथ पर बढ़ सकेंगे। □

साहित्य समीक्षा

उद्‌गम (कविता संग्रह) : रचयिता : गुरीन्द्र 'मानव', प्रकाशक : राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, मोतिया पार्क, भोपाल, पृष्ठ संख्या : 64, मूल्य : 6 रुपये।

आज की औद्योगिक संस्कृति और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जिन्दगी पहले जैसी आसान नहीं रह गई है। हमें आधुनिक साधन तथा सुविधाएं तो मिलती जा रही हैं, पर जीने का प्रश्न जटिल बनता जा रहा है। स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में लिखी गई कविता भी अपना एक अलग अर्थ लेकर हमारे सामने आएगी। आज का कवि जो कुछ जी रहा है, जैसा जी रहा है, आखिर उसी को तो वाणी देगा वह। सामाजिक परिवेश एवं कवि द्वारा अनुभूत यथार्थ की तल्खी काव्य का बाना पहन कर प्रकट होती है। उसमें अर्थ की तलाश करना हमारा काम है, अर्थात् पाठक अपनी अनुभूतियों का तादात्म्य कवि की अनुभूतियों के साथ स्थापित करे, अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। श्री गुरीन्द्र 'मानव' द्वारा रचित 'उद्‌गम' को पढ़ने के बाद कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है।

पच्चीस कविताओं के इस संग्रह में जहां कवि अपने अतीत के झरोखे से झांकने और अपने ऊपर पड़े बुजुर्गों के संस्कारों को ढूंढ़ने की कोशिश करता है, वहीं उसके द्वारा भोगा हुआ यथार्थ भी बोल उठता है।

'मानव' का संवेदनशील हृदय इस घुटन और भटकाव भरी दुनिया में कुछ ढूंढ़ रहा है और उसे जो कुछ मिलता है उसे वह वाणी देने का प्रयास कर रहा है। यही है इन कविताओं में सन्निहित अर्थ। पाठक को ये कविताएं अपने भीतर झांकने अथवा इस दुनिया के बेगानेपन को समझने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगी ऐसी मेरी आशा है।

भाषा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी ये कविताएं असफल नहीं कही जा सकतीं। शब्द भावानुकूल तथा शैली चित्तग्राहिणी है। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 'मानव' को अपनी लेखनी में निखार लाने के लिए समसामयिक हिन्दी-काव्य लेखन और उसकी भाषा एवं भंगिमा को और समझना होगा। 'मानव' में एक संवेदनशील कवि के अंकुर मौजूद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उन अंकुरों को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए पर्याप्त धैर्य एवं चिंतन अपेक्षित है। विश्वास है कि वह इस तथ्य को समझेंगे और शीघ्र ही हिन्दी काव्यलेखन में अपना स्थान बना लेंगे।

सफाई और अधिक स्वच्छ तथा साज-सज्जा बेहतर होती तो पुस्तक और अधिक आकर्षक हो जाती। □

डा० विशाल त्रिपाठी

जापान की लोककथाएं : लेखक : रमेश बक्षी, प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 40, मूल्य : 5 रुपये।

मां नन्हे शिशु को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है तो दादी मां अपने नाती-नातिनों को कहानी सुनाती है, राजा रानी से लेकर परियों तक की। इन कहानियों में कल्पनाजन्य अनुभूतियां होती हैं तो कहीं अनुभव पर आधारित शिक्षा और प्रेरणा। यही कहानियां साहित्य में लोक कथाओं के नाम से प्रतिष्ठित होती हैं। देश हो या परदेस विश्व के कोने-कोने में इन कथाओं का जन्म हुआ है जो सदियों से इसी रूप में चली आ रही हैं।

'जापान की लोक कथाएं' इन्हीं लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसलिए वहां की लोक कथाओं में भी जीवन का प्रकाश है और कभी न मिटने वाला स्वर है।

प्रस्तुत संग्रह में नौ कथाएं हैं, 'उराशिमा', 'मोमोतारो', 'एक थी बांसकुमारी', 'चिड़िया गाती है', 'अजीब नगर, अनोखे लोग', 'सफेद खरगोश की यात्रा', 'झगड़ा केकड़े और बन्दर का', 'जो फूल खिलाता है', और 'शेर बच्चा किनतारो' आदि।

इन कहानियों के पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही देश के किसी अंचल में बड़ी-बूढ़ी से बैठकर कहानी सुन रहे हैं। 'उराशिमा' में कछुए और नागकन्या के माध्यम से कथावस्तु का विस्तार किया गया है। 'मोमोतारो' में कुत्ता, बन्दर और तीतर की योजना बालसुलभ भावनाओं से ओत-प्रोत है। अन्य कहानियों में कहीं कोई लकड़हारा आकर्षण का विषय है तो कहीं अजीबो-गरीब शक्लों वाले लोगों की कल्पना। खरगोश, केकड़ा, बन्दर, शेर और भालू यत्र-तत्र इन कहानियों में छाए हुए हैं। अतः स्वाभाविक है कि इन लोक कथाओं को हम अपने ही आस-पास घटता हुआ देखते हैं। लेखक की रोचक और पैनी कलम से इन लोक कथाओं में प्राण आ गए हैं। □

शशि चावला

मेरी प्रिय कहानियां : लेखक : गोविंद मिश्र, प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 128, मूल्य : 10 रुपये।

यह आवश्यक नहीं है कि जो रचना रचनाकार को प्रिय है वही पाठक को भी प्रिय हो। इस दृष्टि से पाठक पाठक में भिन्न रुचियों की बात होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। प्रस्तुत संग्रह की कहानियों को पढ़ने से ऐसा लगा कि ये 'प्रिय कहानियां' सर्वथा अप्रिय स्थितियों और परिस्थितियों को अपने में समेटे चल रही हैं और उनके परिवेश में फंसा शब्द जाल विकृत रूप से कराह रहा है। पहली ही कहानी का शीर्षक 'कच कौंध' इसका उदाहरण है। इसकी सही दिशा क्या है, यह तो कहानीकार ही अधिक समझता होगा। परन्तु यह निश्चित है कि यह प्रयोग अप्रचलित है। इसी प्रकार इसी कहानी के अंतर्गत 'सिलगाओ, सकोर, सिताए आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जो क्षेत्रीय होने पर भी अपरिचित हैं या विकलांग। अवध प्रान्त की भाषा के इन शब्दों का भी यथावत प्रयोग नहीं किया गया है। और ऐसे शब्दों के प्रयोग से चाहे पात्रानुकूल भाषा उचित मानी जाए पर बुद्धि को नितान्त एकाग्र करने और कुरेदने पर ही कहानी के कथ्य को कुछ समझा जा सकता है।

चूंकि कहानी का सम्बन्ध लेखक और पाठक दोनों से ही रहता है, अतः कहानीकार अपने कथ्य को अपनी निजी प्रियता में अधिक न बांधे तो उसकी रचना की पाठक परिधि और सुरुचि का क्षेत्र बढ़ सकता है और मैं समझता हूं इस दृष्टि से इन कहानियों का क्षेत्र कुछ संकुचित और शिथिल ही होगा।

ये कहानियां कुछ ऐसी हैं जैसे पानी में डुबकी लगाकर बाहरी दुनिया के बारे में कुछ सोचा जा रहा हो। मस्तिष्क का आन्दोलन इसमें स्पष्ट है किन्तु हृदय का स्पन्दन स्पर्श इनमें नहीं मिलता।

वस्तु जगत के प्रति कहानीकार इनमें कुछ अधिक सजग दिखाई पड़ता है। उसमें चेतनता की स्थापना काफी सजीव बन पड़ी है जो इन कहानियों की विशेषता ही कही जाएगी।

"कमरा नफासत से सजा हुआ था, सोफों के ऊपर बिछे चादरों का बैंगनी रंग कुछ-कुछ मायूसाना लगने लगा था।"

कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो रहस्यवाद जैसे लिबास से ढकी प्रतीत होती हैं और पाठक के मन को असामाजिक पृष्ठ भूमि पर खड़ाकर एकान्तिक विहार के लिए विवश करती चलती हैं। कहानीकार का यह कथ्य (इनमें एक भी ऐसी कहानी नहीं है जिसे प्रेम कहानियों की श्रेणी में डाला जा सके) भी स्वयं सिद्ध है कि 'प्रेम' ही कहानियों की गरिमा है और अपनी इन कहानियों में इस अभाव को लेखक स्वयं अनुभव करता है और शायद उसकी हीन ग्रन्थि ही इन कहानियों में अधिक स्पष्ट हो पाई है। अपने प्रति इस प्रकार के उलाहने से ही कहानियों की महिमा समझी जा सकती है। यही नहीं शायद प्रेम से आहत होने पर ही इन कहानियों में आहत पात्रों की अवतारणा की गई है और इसीलिए प्रायः सभी कहानियों में आहत स्थितियों का ही क्रन्दन सुनाई पड़ रहा है। प्रेम का कहीं स्पष्ट दृश्यांकन तो इन कहानियों में नहीं है, किन्तु उससे आहत होने पर उसके उखड़ेपन की प्रवृत्ति को ही खूब जमकर उभारा गया है। □

डा० शान्ति प्रकाश वर्मा

लीक अलीक : लेखक : स्व० भारत भूषण अग्रवाल, प्रकाशक : राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 120, मूल्य, 12 रुपये।

लीक-अलीक" स्व० भारत भूषण अग्रवाल के 20 निबन्धों का एक सुन्दर संग्रह है। इसकी विषय वस्तु का अनुमान नाम से ही हो जाता है। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के निबन्ध हैं--कुछ प्रचलित परिपाटी पर हैं और कुछ उससे हट कर लिखे गए हैं। प्रायः सभी निबन्ध रसमयता और आकर्षण को लिए हैं। पाठक के मस्तिष्क पर इनसे कोई बोझ नहीं पड़ता।

संग्रह के निबन्धों में कुछ संस्मरणात्मक हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। कुछ फैंटेसी की उड़ान लिए हुए हैं तो अन्य में लेखकीय पीड़ा के दर्शन होते हैं।

संस्मरणात्मक निबन्धों में लेखक ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की झांकी प्रस्तुत की है जैसे 'बारात की ट्रेन', 'किस्सा नीलम की अंगूठी का', 'मेरी नींद मेरे खर्राटे', 'मैंने स्पेशल बस चलाई' आदि।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर लिखे गए निबन्धों में गहरी मानवीय आत्मीयता है। इनमें मर्मस्पर्शिता है। जैसे गुप्त जी, नागर जी, व्यास जी तथा बरसाने लाल जी से संबंधित निबन्ध।

'गोष्ठी असमाचार', 'ऊंट पर सवार साढ़े छह यार' इन निबन्धों में फैंटेसी की उड़ान तथा गहरी चुटकी मिलती है।

'एक संलापहीन स्थिति तथा लेखक और लक्ष्मी' कुछ ऐसे निबन्ध हैं जिनमें लेखक की पीड़ा उमड़ कर सामने आ गई है।

अतः स्पष्ट है कि इनके निबन्धों में हास्य है, व्यंग्य है। कहीं-कहीं लेखकीय चुभन के भी अवश्य दर्शन होते हैं। लेखक मथुरावासी हैं। उनके संस्कारों की छाप, व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब निबन्धों में अवश्य मिलता है। लीक अलीक में भारत भूषण जी की चेतना ही दृष्टिगोचर नहीं होती अपितु चुहल और हास्य व्यंग्य की भी छटा अवश्य मिलती है। संग्रह की भाषा सरल सरस है। शैली में एक आकर्षण है जोकि रोचकता बनाए रखता है।

स्व० भारत भूषण अग्रवाल के निबन्धों को पुस्तकाकार में सामने लाने का श्रेय प्रकाशक को है। इसके लिए वह हमारी बधाई के पात्र हैं। □

एम० एल० मैत्रेय

सब मानव हैं

हिम्मत कर ले, मेहनत कर ले नई समर है भाई,
आज देश में नई फिजा है नई सहर मुस्काई।
हाथों में बंदूक नहीं है नहीं कोई तलवार,
मेहनत, पौरुष और जीवट हैं हम सबके हथियार।
आज किसी से द्वेष नहीं है शत्रु नहीं है कोई,
रूढ़ि नीतियों और मानव में बनी हुई है खाई।
ठनी हुई है भाई।

सदियों से कुछ नीचे तबके नीचे ही कहलाए,
अधिकारों को समझ न पाए हरदम दबते आए।
नीचे ऊंचे तबके क्या है सब मानव हैं भाई,
जिसके तन में एक हृदय है वह मानव है भाई।
हम मानव हैं भाई।

हड़तालें या तालाबन्दी किसके हित की बातें,
अधिकारों के लिए शांति के और तरीके साधें।
अनुशासन और मेहनत ही है समृद्धि की कुंजी,
उत्पादन का समुचित वितरण सबके मन की मर्जी।
सबका हित है भाई।

हेमन्त गोस्वामी

प्यार तुम्हारे हाथों में

हिलती-डुलती नाव देखकर, मत घबड़ाओ कष्ट-सिंधु में,
तुम पाओ मंजिल दृढ़ता से, पतवार तुम्हारे हाथों में।

अवरोधक लहरों पर तैरो, साहस-श्रम की मार उछालें,
क्या देख किनारा अकुलाना, मंझदार तुम्हारे हाथों में।

संकट के सारे दल दल को, बन ज्येष्ठ-सूर्य से सोखो तुम,
खोलो संचित खुशियों को, सुख-द्वार तुम्हारे हाथों में।

क्यों फैलाएं दुख की चादर, क्यों शूल उगाएं घर आंगन,
हम दो और हमारे दो का, परिवार तुम्हारे हाथों में।

सहकारी, सहयोग-भावना, महकाएं जन-मन बगिया में,
फिर भेंट करें सुख-सौरभ के उपहार तुम्हारे हाथों में।

द्वेष-घृणा से जलती भू पर, बरसाएं अति राग नेह का,
सबको जी भर खूब लुटाओ, प्यार तुम्हारे हाथों में।

आजाद रामपुरी